केवल कार्यालयीन प्रयोग हेतु

टी बोर्ड भारत

65 वीं रिपोर्ट 2018-19

14, बी.टी. एम. सरणी

कोलकाता – 700 001

मुद्रक :
ध्रुव ग्राफिक्स
करोल बाग, नई दिल्ली
मो. : 8800749289, 9891296481

विषय-सूची

65वीं वार्षिक रिपोर्ट, टी बोर्ड : 2018-19

अध्याय सं.	विषय	पृष्ठ सं.
अध्याय-1	संगठानात्मक ढांचा एवं कार्य	1-15
अध्याय-2	वैश्विक परिदृश्य में भारतीय चाय	16-18
अध्याय-3	वित्त	19-22
अध्याय-4	चाय विकास	23-43
अध्याय-5	चाय अनुसंधान	44-49
अध्याय-6	चाय संवर्धन	50-71
अध्याय-7	अनुज्ञापन	72-77
अध्याय-8	सांख्यिकी	78-80
अध्याय-9	मानव संसाधन विकास	81-86
अध्याय-10	हिन्दी कक्ष	87-89
अध्याय-11	सतर्कता प्रकोष्ठ	90
अध्याय-12	विधि प्रकोष्ठ व सूचना का अधिकार	91

<u>अध्याय -1</u>

स्थापना

संगठनात्मक ढांचा एवं कार्य

बोर्ड का गठन

चाय अधिनियम 1953 के अनुच्छेद 4 के प्रावधानों के अनुरुप टी बोर्ड की स्थापना 1 अप्रैल 1954 में की गई थी । टी बोर्ड को भारत में चाय उद्योग के समग्र विकास का कार्य प्रभारित किया गया है और यह केन्द्र सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहा है ।

बोर्ड का संगठन

बोर्ड का गठन अध्यक्ष एवं भारत सरकार द्वारा नियुक्त चाय उद्योग के विभिन्न विभागों से संबन्धित 31 सदस्यों से हुआ है। प्रत्येक तीन वर्ष में बोर्ड का पुर्नगठन होता है।

दिनांक 11 फरवरी, 2019 एवं 9 मार्च 2019 को जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, वर्तमान बोर्ड का पुर्नगठन तीन वर्ष की अवधि हेतु किया गया है ।

<u>टी बोर्ड का कार्य</u>

चाय अधिनियम की धारा 10 के तहत वर्णित टी बोर्ड के कार्य व्यापक है एवं संक्षिप्त रुप से इस प्रकार प्रस्तुत है :

1. चाय बागानों के उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाना ।
2. चाय की गुणवत्ता में सुधार ।
3. लघु चाय कृषकों में सहकारिता प्रयासों का संवर्धन ।
4. चाय अनुसंधान एवं विकास को समर्थन ।
5. निर्यात एवं घरेलू खपत में वृद्धि हेतु संवर्धन अभियान का निष्पादन ।
6. विनियामक कार्य-चाय बागानों, फैक्ट्रियों, प्राथमिक क्रेताओं का पंजीकरण एवं ब्रोकरों, नीलामी संगठनों, निर्यातकों तथा चाय अपशिष्ट डीलरों हेतु अनुज्ञापन जारी करना ।
7. स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रशिक्षण एवं शिक्षा के क्षेत्र में रोपण कर्मियों एवं उनकी संतानों हेतु कल्याणकारी उपाय ।
8. चाय आंकड़ों का संग्रहण एवं वितरण; तथा
9. केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी ऐसी अन्य गतिविधियाँ ।

निधि का स्रोत :

उपर्युक्त कार्य हेतु निधि केन्द्र सरकार द्वारा पूंजी तथा राजस्व शीर्ष के अंतर्गत बोर्ड को प्रदान की जाती है । राजस्व निधि का प्रयोग विशेषरुप से प्रशासन व स्थापना प्रभार के लिए किया जाता है जिसमें चाय पर उपकर मुख्य स्रोत है । पूंजीगत निधियों का प्रयोग बोर्ड के विविध विकासात्मक, संवर्धनात्मक एवं कल्याण योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु पूंजी निधियों का प्रयोग किया जाता है । चाय अधिनियम, 1953 की धारा 25 (1) के तहत भारत में उत्पादित सभी चायों पर 50 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से उपकर लगाया जाता है, केवल दार्जिलिंग चाय पर उपकर 20 पैसे प्रति किलोग्राम है । यद्दपि जीएसटी कार्यान्वयन के बाद, तैयार चाय के उत्पादन पर लागू उपकर को जीएसटी में समाविष्ट किया गया है एवं धारा 3 के खंड (सी), धारा 25 एवं 26 तथा धारा

27 की उपधारा (1) के खंड (ए) भारत के राजपत्र की धारा 1 भाग II में प्रकाशित कर नियम (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 के सं. 18) के तहत निरस्त किया गया है ।

प्रशासनिक ढांचाः

चाय नियम, 1954 के नियम 3 के अनुसार बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में स्थित है एवं इसकी अध्यक्षता, अध्यक्ष द्वारा की जाती है तथा उनकी सहायता के लिए मुख्यालय में उपाध्यक्ष एवं गुवाहाटी (असम) तथा कुनूर (तमिलनाडु) में स्थित बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात दो कार्यपालक निदेशक हैं । भारत में बोर्ड के छत्तीस (36) कार्यालय हैं जिसमें क्षेत्रीय/आंचालिक/उप-क्षेत्रीय कार्यालय शामिल है तथा विदेश में अर्थात् मॉस्को में एक (01) कार्यालय है ।

टी बोर्ड का प्रशासनिक ढ़ांचा

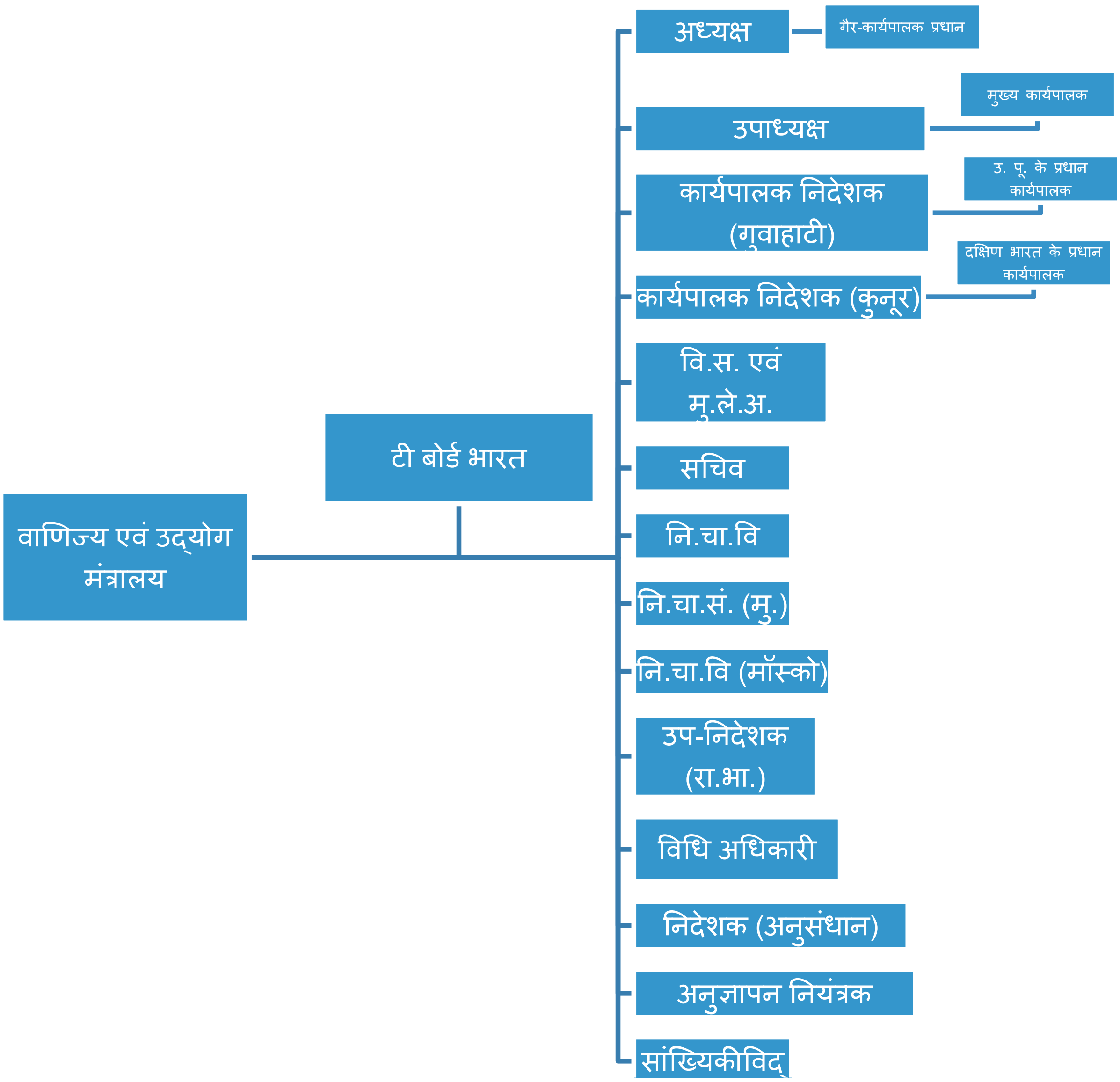

स्थापना विभाग की भूमिका नीति बनाना तथा चाय नियमों के प्रावधानों तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग व कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी उप-नियमों, नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। सचिव इस विभाग के प्रधान हैं जिसे सहायक सचिव द्वारा सहायता दी जाती है । यह बोर्ड के कर्मचारियों व अधिकारियों से संबंधित मामलों, सेवा सम्बंधी मामलों, कार्यालयों की स्थापना, जनशक्ति पदों आदि से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है । सचिवालय अनुभाग सचिवालय से संबंधित सभी मामलों पर कार्य करता है जैसे वीआईपी संदर्भ से संबंधित मामलें, बोर्ड मीटिंग का आयोजन आदि जबकि भंडार शाखा बोर्ड के सभी रिकॉर्ड व सूची रखता है ।

बोर्ड की बैठक

रिपोर्टाधीन अवधि (अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक) के दौरान दो (02) बैठकों का आयोजन किया गया जिसका विवरण निम्नवत है :

बोर्ड के बैठक की संख्या	स्थान	दिनांक
236	काज़ीरंगा	26 जून, 2018
237	कोलकाता	26 सितंबर, 2018

टी बोर्ड की जन-शक्ति

31.03.2019 तक बोर्ड की कुल जनशक्ति 448 थी (इसमें प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी शामिल है)। भारत में बोर्ड के कार्यालयों में विभिन्न श्रेणियों के तहत अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्तमान क्षमता का विवरण तालिका-1 में दिया गया है ।

तालिका-1

भारत में बोर्ड की समूहवार जनशक्ति (31.03.2019) तक

क्षेत्र	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	कुल
मुख्यालय	17	30	74	121
क्षेत्र/उप क्षेत्रीय कार्यालय	49	100	174	323
टी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी	4	0	0	4
कुल	70	130	248	448

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं अन्य पिछड़े वर्ग

	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछले वर्ग	कुल
ग्रुप ए	9	4	17	30
ग्रुप बी	22	5	31	58
ग्रुप सी	45	15	22	82
कुल	76	24	70	170

बोर्ड के कर्मचारियों का आयु-वार विवरण (प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों को छोड़कर)

आयु वर्ग	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	**कुल**
18-30	7	10	8	25
31-40	19	60	60	139
41-50	20	14	75	109
51-60	24	46	105	175
कुल	70	130	248	448

टी बोर्ड की सेवानिवृत्ति तालिका (अगले पाँच वर्षों में)

वर्ष	ग्रुप ए	ग्रुप बी	ग्रुप सी	**कुल**
2019	1	4	2	7
2020	1	6	14	21
2021	0	6	7	13
2022	3	6	11	20
2023	2	5	12	19
2019 से 2023 **तक कुल**	7	27	46	80

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड की जन-शक्ति में बदलावः

पदोन्नतिः

मितव्यय सम्बंधी उपायों के अंश के रुप में प्रशासनिक व्यय में प्रभावी आर्थिक तंत्र के लिए टी बोर्ड के नियंत्रण मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग ने दिनांक 22.02.2017 के पत्र द्वारा यह सुझाव दिया है कि विभाग की अनुमति के बिना कोई नयी भर्ती अथवा पदोन्नति न दी जाए । यद्दपि, वा. एवं उ. मंत्रालय द्वारा अनुमोदन के आधार पर टी बोर्ड के अनुरोध पर 2018-19 के दौरान एक कर्मचारी को ग्रुप-बी से ग्रुप-ए तथा दो कर्मचारियों को ग्रुप सी से ग्रुप बी में पदोन्नत किया गया है ।

अतिरिक्त दायित्वः

- श्री श्यामल मिश्रा, भा.प्र.से. (हरियाणाः96), संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभआग ने 08.07.2018 तक उपाध्यक्ष, टी बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार संभाला ।
- श्री संजीओ कुमार, (आई.एफ.एस. 1997), कार्यापालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी ने 07.06.2017 से 04.04.2018 तक वि.स. व मु.ले.अ. का अतिरिक्त दायित्व संभाला ।
- श्री एस. सौन्दराराजन, निदेशक चाय विकास ने 21.12.2018 तक सचिव, टी बोर्ड का अतिरिक्त दायित्व संभाला ।
- डॉ. ऋषिकेश राय, उपाध्यक्ष (राजभाषा) ने 22.12.2018 से सचिव, टी बोर्ड का अतिरिक्त दायित्व संभाला ।

त्यागपत्र एवं पदमुक्ति

- श्री श्यामल मिश्रा, भा.प्र.से. को 09.07.2018 से उपाध्यक्ष के रुप में कार्यमुक्त किया गया ।

नियुक्तियाँ

- श्री अरुण कुमार राय, (भा.पु.से. उड़ीसाः1988) ने 09.07.2018 से उपाध्यक्ष, टी बोर्ड का पदभार ग्रहण किया ।
- श्री प्रभात कमल बेज़बरुआ ने 08.03.2019 से अध्यक्ष, टी बोर्ड का पदभार ग्रहण किया ।
- श्री पी.के. साहु, (आईओएफएस1997) ने 05.04.2018 से वि.स. एवं मु.ले.अ. का पदभार ग्रहण किया ।

सेवानिवृत्ति

- श्री जयंत राय, डब्लू.एल.ओ. (उत्तर) 30.09.2018 बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए ।
- श्री प्रहलाद छेत्री, स.नि.चा.वि. 31.01.2019 को बोर्ड से सेवानिवृत्त हो गए ।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सोलह (16) अन्य कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए ।

दिवंगत

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान दो (02) कर्मचारियों का निधन हो गया ।

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान पांच (05) कर्मचारियों ने विभिन्न संवर्गो से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ग्रहण किया ।

एमएसीपी लाभ

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, एमएसीपी योजना के तहत कुल 36 (छत्तीस) कर्मचारियों को लाभ प्राप्त हुआ वह निम्नस्त हैः-

ग्रुप-ए	03
ग्रुप-बी	05
ग्रुप -सी	28
कुल	36

स्वच्छ भारत अभियान

- समय-समय पर भारत सरकार द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, टी बोर्ड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया ।

प्रशिक्षण

- **टी बोर्ड के दो कर्मचारियों को ब्रिटिश काउंसिल, कोलकाता में प्रशिक्षण हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था ।**

लोक शिकायत, संसदीय प्रश्न, मंत्रालय पत्राचार एवं अन्य वीआईपी संदर्भ

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड ने 64 संसदीय प्रश्न, 26 लोक शिकायत, 120 मंत्रालय पत्राचार एवं 19 अन्य वीआईपी संदर्भ का समाधान किया । असम सभा के 8 प्रश्नों का भी समाधान किया गया है।

कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु शाखा

- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान टी बोर्ड में यौन उत्पीड़न के निवारण हेतु गठित शाखा में कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है ।

चिकित्सा नीति

- टी बोर्ड भारत ने समूह स्वास्थ्य मेडिक्लेम बीमा के विस्तार हेतु मेसर्स यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को वर्तमान कर्मचारिगण एवं उनके आश्रितों के इन-पेशेंट चिकित्सा के लिए 28.03.2019 से दायित्व सौंपा गया ।

अनुलग्नक-I

भारत तथा विदेशों में स्थित टी बोर्ड कार्यालयों का पता

पश्चिम बंगाल और बिहार

टी बोर्ड 14, बीटीएम सारणी , कोलकाता - 700001, दूरभाष : 033-22351331/फ़ैक्स : 033-2221-5715 ईमेल : secytboard@gmail.com वैबसाइट : www.teaboard.gov.in	टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, वीरपाड़ा ऊषा कॉम्पलेक्स, एम.जी. रोड, अलिपुरद्वार, पश्चिम बंगाल-735204 फो.03563-266542 ई-मेल:teaboardbirpara@gmail.com
दार्जिलंग टी रिसर्च एंड डेव्लपमेंट सेंटर (डीटीआर एंड डीसी) आचार्य भानुपथ, कार्सियांग-734203, दार्जिलिंग दूरभाषः 0354-230287 फैक्स व दूरभाषः 0354-230218 ईमेलः teaboarddarjeeling@gmail.com	टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, ईस्लामपुर, पावर हाउस पारा, मुख्य बस टरमीनस के विपरीत, पोस्ट ईस्लामपुर, जिला-उत्तर दिनाजपुर पश्चिम बंगाल-733202 ईमेल: teaboardislampur@gmail.com
टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राहत बाड़ी, बाबुपारा, वार्ड सं.7, पो. व जिलाः जलपाईगुड़ी-735101 पश्चिम बंगाल दूरभाष/ फैक्सः 03561-225146 ईमेलः teaboardjal@gmail.com	टी बोर्ड आचंलिक कार्यालय शहीद भगत सिंह कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ,(3 तल) , 2nd माइल , सेवोक रोड , सिलिगुड़ी-734001, पश्चिम बंगाल दूरभाष/फैक्स : 0353-2544778 ईमेल : siliguriteaboard@gmail.com
क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, टी पार्क (एनजेपी रेलवे स्टेशन के पीछे) सिलिगुड़ी-735135	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय पोस्ट-ठाकुरगंज, जिला-किशनगंज बिहार ।

तमिलनाडु

कार्यपालक निदेशक , टी बोर्ड आंचलिक कार्यालय, “शेलवूड”, लाईब्रेरी रोड ,पोस्ट बॉक्स न. - 6, कूनूर -643101, नीलगिरि, तमिलनाडु दूरभाष : 0423-2231638/2230316*[डी] फ़ैक्स : 0423-2232332, 2231484-आर ईमेल : teaboardcoonoor@rediffmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय को-ऑपरेटिव बैंक के समक्ष मैसूर रोड, गुडलूर-643212 द निलगिरि, तमिलनाडु दूरभाष-04262-262 316 ईमेल : teaboardgudalur@gmail.com
टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, 139, एलडैम्स रोड, तैनामपेट (2 तल) चेन्नई-600002, तमिलनाडु 2. टी रुम, टी बोर्ड चेन्नई सचिवालय, दुकान सं. 3, 4 सेन्ट. जॉर्ज, चेन्नई-600009 दूरभाष-044-24342754/फैक्सः044-24341650 ई मेलः teaboardchennai@sancharnet.in	

केरल

टी बोर्ड	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय,
इन्दिरा गांधी रोड , विलिंगडॉन आइलैंड, कोची - 682003 , केरल , दूरभाष : 0484-2666523/2340481 फ़ैक्स : 0484-2666648 ईमेल : teaboardkochi@sancharnet.in	511/1, कल्लोलिकल बिल्डिंग, पीयरमेड पोस्ट इदुक्की डीटी., कुमिली, इदुक्की जिला , केरल - 685 509, दूरभाष : 04869 - 222628 , ईमेल : teaboard.kumily@gmail.com

आंध्र प्रदेश

टी नूक, सी.आर.ओ. जी) कार्यालय के निकट रेलवे आरक्षण कॉम्पलेक्स काउंटर के विपरित) तिरुमाला-517504, आंध्रप्रदेश

असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं मेघालय

कार्यपालक निदेशक टी बोर्ड उत्तर पश्चिम आंचलिक कार्यालय हाउसफेड कॉम्पलेक्स, 5वां व 6 वां तल, सेंट्रल ब्लॉक बेलतला बशिष्ठ रोड , दिसपुर, गुवाहाटी -781006, दूरभाष : 0361-2228944/2228945 फ़ैक्स : 0361-2234251 ईमेल : teaboardguwahati@hotmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, टी बोर्ड, आईटीआई रोड, पो. इंद्रनगर, वाया-कुंजबन, अगरतला, त्रिपुरा-799006 दूरभाष:0381-2354639/फैक्स:0381-2354182 ईमेल: teaboard.agartala@gmail.com
लघु चाय रोपण विकास निदेशालय, जीग-जैग रोड, चौकीदींघी, शांतिनिकेतन अपार्टमेंट के विपरित, पोस्ट डिब्रूगढ़-786001 दूरभाष : 0373-2324982 ईमेल: teaboardsgdd @gmail.com teaboarddibrugarh@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय क्लब रोड , सिल्चर -788001 , जिला - कछार , असम , दूरभाष : 03842-232518, ईमेल : silchar_tboard@rediffmail.com
टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय , प्राइवेट रेसीडेंस , 2 तल , किंगकप स्कूल के निकट , वी.आई.पी. रोड , पोस्ट-इटानगर अरुणाचल प्रदेश - 791 111 ईमेल आईडी: teaboarditanagr@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय टी रिसर्च एसोशिएशन कॉम्प्लेक्स , सिन्नामारा, जोरहाट - 785001,असम ईमेल : teaboardjorhat@gmail.com

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, चुनाव कार्यालय के विपरीत, जिला - सोनीतपुर, गणेश घाट, तेजपुर-784001, असम , दूरभाष : 03712-233664, ईमेल : tezpurteaboard@gmail.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय एल. के. बरूआ रोड, अमोलापट्टी, जिला-सिवसागर, असम पिन-785640 ईमेल : teaboard.sivsagar@gmail.com
टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, "पुण्यालय" मारवाड़ी पट्टी, वार्ड नम्बर-1 पोस्ट व जिला गोलाघाट, (असम) पिन-7856215, असम ईमेल: teaboardgolaghat@gmail.com	टी बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, खर्गेस्वर रोड, बीएसएनएल कार्यालय के निकट, जिला-तिनसुकिया, असम पिन-7856215 ईमेल: tinsukiateaboard2019@gmail.com
टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o. मृणाल मोनी भट्टाचार्यां, फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट के पीछे, पोस्ट व जिला विश्वनाथ चारियाली (असम) ईमेल: nandyanupam3@gmail.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o श्री प्रभात दास, पोस्ट-जिला: उदालगुरी पिन-784509, असम ईमेल: nabajotibaro@gmail.com
टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, लुमनॉनगीम, उम्सनिंग, जिला-रि-भोई, मेघालय पिन-793105 ईमेल: teaboardumsning@gmail.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o श्री गुगिन गोगोई, पोस्ट-गोगामुख, जिला: धेमाजी, असम पिन-787034, असम ईमेल: rituvd@gmail.com
टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, C/o श्री हेमकान्त खानीकर, 14 नम्बर लाइन रोड, इलाहाबाद बैंक के पीछे, राजगढ़, डिब्रुगढ़, असम पिन-786611 ईमेल: pbaidya23@yahoo.com	टी बोर्ड उप-क्षेत्रीय कार्यालय, जेमाबाव्क हाई स्कूल रोड, हाउस नं. आर के-62 ऐजवाल, मिजोरम पिन-796017 ईमेल: diganta_2009@rediffmaill.com

टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, पोस्ट-धर्मनगर, नॉर्थ त्रिपुरा पिन-899250 ईमेल : mnskrmllk@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, राजाधाप पशु अस्पताल के निकट पोस्ट-सोनारी, जिला-चराईडिओ, असम पिन-785690, असम ईमेल : teaboard.sonari@gmail.com

दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंव महाराष्ट्र

उ.प.भा. विशेषाधिकारी टी बोर्ड 13/2 जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड , नई दिल्ली -110011, टेली फ़ैक्स: 011-23074179, मोबाईल : 09818007168 ईमेल : nasstats@gmail.com , daktboard@gmail.com	टी बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, कालु दी हाट्टी, पालमपुर, कांगड़ा, हि.प्र. दूरभाष : 01894-238171 फैक्स : 01894-238178 ईमेल : teaboardpalampur@gmail.com
टी बोर्ड उप-कार्यालय लिंक रोड, थापलिया, अल्मोड़ा उत्तराखंड पिन-263601 ईमेलः teaboardalmora@gmail.com	टी बोर्ड रेशम भवन , 78, वीर नरीमन रोड, मुंबई - 400002, टेलीफोन : 022-22041699, जी.एच टेली) 23675401 ईमेल : mumteaboard@gmail.com

रूस

टी बोर्ड ऑफ इंडिया , 4, वोरोंत्स्वो पोलये- भारतीय दूतावास , मॉस्को रशियन फ़ैडरेशन , दूरभाष/ फ़ैक्स: +7 (495)916 3724, +7-495 783 7535 एक्स: 293 + 7(495)917 1657 आवास : +7(495)952 0524 मो. : +0079653862273 ईमेल : teaboard@indianembassy.ru , dtp@indianembassy.ru

अनुलग्नक-II

बोर्ड के सदस्यों की सूची

क्र.सं.	11 फरवरी, 2019 से 10 फरवरी, 2022 तक के बोर्ड के सदस्यों का नाम		
1.	श्री प्रभात कमल बेज़बरुआ फ्लैट 41, 17 लोअर रेंज, कोलकाता-700017 पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष	नियम 4 के उप-नियम (1) के तहत नियुक्ति [वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं. एस.ओ. 1172 ई) दिनांक 08.03.2019 एन.स.टी-49019/1/2018-पौध देखें]
2.	सचिव, उद्योग, वाणिज्य एवं उपक्रम विभाग पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
3.	प्रधान सचिव, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग त्रिपुरा सरकार अगरतला	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
4.	सरकार के सचिव सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम विभाग, तमिलनाडु सरकार, चेन्नई	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
5.	कृषि उत्पादन आयुक्त एवं प्रधान सचिव, कृषि विभाग, केरल सरकार, तिरुवनंतपुरम	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
6.	सरकार के सचिव व आयुक्त वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, असम सरकार, गुवाहाटी	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]

7.	हिमाचल सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि) के प्रधान सचिव, शिमला	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
8.	श्री रमेन डेका, सांसद, लोकसभा	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
9.	श्री पी. नागराजन सासंद, लोकसभा	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
10.	श्रीमती शांता छेत्री सांसद, राज्यसभा	सदस्य	नियम 4 के उप-नि.म (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार का प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.न.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 11/2/2019 की वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अधिसूचना सं.एस.ओ. 783 (ई) देखें]
11.	श्री बी. कुमारन, 6/415, होनाथली, बील्लीकॉम्बी पोस्ट) नीलगिरि-643214 तमिलनाडु	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295(ई) देखें ।]
12.	श्री बिपन सिंहल सचिव, लघु उद्योग भारती-उत्तर बंगाल इकाई मैग ट्री प्राईवेट लिमिटेड प्रिमियम अपार्टमेंट, 2 तल, शिव मंदिर रोड, पंजाहीपारा, सिलिगुड़ी-734001, पश्चिम बंगाल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295(ई) देखें ।]

13.	श्रीमती डिकी ताशी वांगचूक ताशी उत्पल, तातोंग सरकारी स्कूल के नीचे, तातोंग, पोस्ट दारा गाँव, गंगटोक-737102, सिक्किम	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
14.	श्री किशोरीलाल अग्रवाल 1ए, 137, सेक्टर 3, साल्ट लेक कोलकाता-700096 पश्चिम बंगाल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना]सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
15.	अध्यक्ष भारतीय चाय संस्थान रॉयल एक्सचेंज, 6, नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
16.	सभापति, द युनाईटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सदर्न इंडिया, पोस्ट बॉक्स सं. 11, ग्लैनव्यूह, कुन्नूर-643101	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
17.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं के मालिक तथा बागान एवं चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व
18.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं के मालिक तथा बागान एवं चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व
19.	महासचिव असम चाहमज़दूर संघ, जीबन फुकन नगर, डिब्रुगढ़-786003, असम	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
20.	श्रीमती वीणा (बीना) श्रीवास्तव पत्नी श्री महीन्द्र नाथ, ग्राम-डुग्नी, पोस्ट महाहुद-पालमपुर, जिला-कांगड़ा हिमाचल प्रदेश	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]

21.	सभापति भारतीय चाय संस्थान इंडिया एक्सचेंज, 4, महाराणा प्रताप सरणी 7वां तल, इंडिया एक्सचेंज प्लेस, कोलकाता-700 001	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018 पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।
22.	श्री जे. रमन थुम्बानटी ग्राम व पोस्ट, ऊटी, द नीलगिरि-643002 तमिलनाडु	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
23.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं के मालिक तथा बागान एवं चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व
24.	श्री निधेश हंसमुखलाल शाह टी ट्रेडर्स व एक्सपोर्टस फोरम, “मधुवन”, घर हो तो ऐसा के विपरीत कमल मंदिर रोड, संस्कार सोसाईटी के निकट, सुरेन्द्रनगर-363002 गुजरात	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
25.	रिक्त	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम के खंड (सी) के तहत चाय संपदाओं के मालिक तथा बागान एवं चाय उत्पादकों का प्रतिनिधित्व
26.	श्री भावेश रमेशभाई पटेल संयुक्त प्रबंध निदेशक विक्रम टी प्रोसेसर प्राइवेट लिमिटेड अजंता नगर, देवेलगाँव राजा रोड, जालना-431203, महाराष्ट्र	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
27.	श्री पी. मोहनन ताचूपुरमबिल, पोस्ट-लांड्री, लांड्री एस्टेट इडुक्की-685505, केरल	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]

28.	श्री रतन नंदलाल बिदादा प्रबंध निदेशक बिदादा इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड गंगा मैंशन, सिंहागाद सोसाइटेड, कन्हेरी रोड, मोती नगर, लातुर-413512, महाराष्ट्र	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
29.	संत श्री नानकदास महाराज सतगुरु कबीर आश्रम सेवा संस्थान एनजीओ) छपरीदंगरी, पोस्ट बड़ीखाटु तेहःजयल, जिला-नागोर, राजस्थान-341301	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
30.	डॉ. अशोक कुमार सक्सेना 33, पार्न विला, सेवक आश्रम रोड, देहरादून, उत्तराखंड-24800	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
31.	श्री सुनील किरवई भारतीय मजदूर संघ कार्यालय हाउस सं. 136/बी, वाटर वर्कस कॉलोनी, फायर सर्विस स्टेशन के निकट, पांडु, पोस्ट-रेस्ट कैम्प जिला-कामरुप-781012 असम	सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के, खंड (ए) के तहत प्रधान चाय उत्पादक राज्यों के सरकार के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति [एफ.स.टी-49019/1/2018-पौध (ए) से दिनांक 09/03/2019 की एसओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 1295 (ई) देखें ।]
32.	उपाध्यक्ष, टी बोर्ड	पदेन सदस्य	नियम 4 के उप-नियम (1) के खंड (एए) के तहत नियुक्त [एफ.सं.टी-49019/1/2018-पौध(ए) से दिनांक 11/2/2019 की एमओसीआई अधिसूचना सं. एस.ओ. 783 (ई)]

अध्याय-2

वैश्विक व भारतीय चाय परिदृश्य का एक व्यापक सिंहावलोकन

वैश्विक चाय परिदृश्य

उत्तरी अमेरिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में करीब 36 से अधिक देशों तक विस्तृत है, जिसमें जॉर्जिया और अर्जेंटीना के बीच व्यापक कृषि-जलवायु परिस्थितियों में चाय पैदा होती है । वर्ष 2018 के दौरान वैश्विक चाय उत्पादन और उपभोग क्रमशः 5897 मिलियन किग्रा और 5677 मिलियन किलोग्राम था। वर्ष 2018 के दौरान उत्पादक देशों से कुल निर्यात 1859 मिलियन किलोग्राम तक बढ़ा। मुख्य चाय उत्पादक और निर्यातक देशों में चीन, भारत, केन्या, और श्रीलंका हैं और वे क्रमशः 81% और 74% विश्व चाय का उत्पादन तथा निर्यात करते हैं। तालिका (1)

तालिका -1

2018 के दौरान प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देशों का उत्पादन और निर्यात में हिस्सेदारी ।

देश	उत्पादन		निर्यात	
	मिलियन किग्रा	विश्वव्यापी हिस्सा	मिलियन किग्रा	विश्वव्यापी हिस्सा
चीन	2616.00	44.36	364.70	19.62
भारत	1338.63	22.70	256.06	13.78
केन्या	493.00	8.36	474.86	25.55
श्रीलंका	304.01	5.16	271.78	14.62
अन्य	**1145.00**	**19.42**	**491.42**	**26.43**
विश्व योग	**5896.64**	**100.00**	**1858.82**	**100.00**

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)

2018 के दौरान मांग की तुलना में पूर्ति की अधिकता के कारण बांग्लादेश को छोड़कर मुख्य उत्पादक देशों के विश्वव्यापी नीलामी मूल्य में गिरावट आई ।

तालिका-2 : चाय का विश्व-व्यापी नीलामी मूल्य यूएस $/कि.ग्रा. में)

देश	**2018**	**2017**	**>/< वृद्धि 2017**
भारत	2.03	2.04	-0.01
बांग्लादेश	3.11	2.45	0.66
श्रीलंका	3.58	4.06	-0.48
केन्या	2.43	2.81	-0.38
लिम्बे	1.84	1.84	0.00

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)

चाय की औसत प्रति व्यक्ति खपत अलग अलग देशों में व्यापक रूप से भिन्न होती है। सबसे अधिक खपत वाले देश तुर्की (3.04 किग्रा), लीबिया (2.80 किलो), अफगानिस्तान (1.37 किलो) और संयुक्त राज्य, मोरक्को, आयरलैंड, और कतर में करीब 2 कि.ग्रा है । हांगकांग, ताईवान, श्रीलंका, चिली, चीन, यूके एवं मिस्र में लगभग 1 किलोग्राम खपत है, जबकि भारत में खपत करीब 803 ग्राम है।

यद्दपि, भारत में प्रति व्यक्ति चाय की खपत अन्य देशों की तुलना में कम है, तथापि भारत की जनसंख्या के कारण चाय की खपत वैश्विक खपत का 19% हिस्सा है। देश में कुल उत्पादन का लगभग 81% हिस्से का उपयोग किया जाता है। यह विशिष्ट स्थान अन्य उत्पादक देशों, विशेष रूप से केन्या और श्रीलंका के विपरीत है जो किसी भी मजबूत घरेलू मांग के लिए मुश्किल नहीं है और इसलिए वे अपने अधिकांश उत्पादन का निर्यात करते हैं।

<u>वर्ष 2018 में वैश्विक चाय की स्थिति</u>

उत्पादन:

वर्ष 2018 के दौरान कुल चाय उत्पादन में वर्ष 2017 की तुलना में 185.42 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई। इसका विस्तृत ब्यौरा तालिका-3 में देखा जा सकता है । श्रीलंका को छोड़कर सभी उत्पादक देशों में काली चाय का उत्पादन बढ़ रहा है। तथापि, चीन एक प्रमुख हरी चाय उत्पादक देश है, उसके उत्पादन में 119.59 मि.कि.ग्रा. की वृद्धि हुई ।

<u>तालिका-3: मुख्य चाय उत्पादक देशों में चाय का उत्पादन</u> (मि.कि.ग्रा.)

देश	2018	2017	>/< वृद्धि 2017
भारत	1338.63	1321.76	16.87
श्रीलंका	303.84	307.72	-3.71
केन्या	493.00	439.86	53.14
चीन	2616.00	2496.41	119.59
अन्य	1145.00	1132.24	12.76
कुल विश्व उत्पादन	5896.64	5697.99	198.65

स्रोत; आईटीसी के वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)

निर्यात:

वर्ष 2018 में कुल वैश्विक निर्यात 2017 की तुलना 67.5 मिलियन कि.ग्रा बढ़ गया (तालिका -4)। हालांकि, भारत और चीन ने उसी क्रम में अपनी प्रमुख स्थिति को बरकरार रखा है जबकि श्रीलंका के निर्यात में गिरावट आई है ।

तालिका-4: प्रमुख उत्पादक देश मिलियन किलोग्राम) का निर्यात

देश	2018	2017	>/< वृद्धि 2017
केन्या *	474.86	415.72	59.14
चीन	364.70	355.26	9.44
श्रीलंका	271.78	278.20	-6.42
भारत	256.06	251.91	4.15
अन्य	491.42	494.13	-2.71
कुल विश्व निर्यात	1858.82	1795.22	63.60

स्रोत; आईटीसी की वार्षिक सांख्यिकिक बुलेटिन 2019 (भारत को छोड़कर)

* केन्या के निर्यात में पड़ोसी अफ्रिकी उत्पादन करने वाले देश शामिल हैं

भारतीय चाय परिदृश्य

भारत में 15 राज्यों में चाय की खेती की जाती है जिसमें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल प्रमुख चाय उत्पादक राज्य हैं। वे कुल उत्पादन का 98% हिस्सा रखते हैं। अन्य पारंपरिक राज्य जहां चाय की खेती की जाती है, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और कर्नाटक राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, और सिक्किम भारत के चाय के नक्शे में प्रवेश करने वाले गैर-पारंपरिक राज्यों में शामिल हैं।

दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि और कांगड़ा जैसी दुनिया की बेहतरीन चाय जो उत्कृष्ट स्वाद, कड़कपन और चमक के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत में उत्पादित किए जाते हैं। विविध कृषि जलवायु परिस्थितियों के साथ भारत उपभोक्ताओं के विभिन्न स्वादों और वरीयताओं के अनुकूल चाय के मिश्रण का उत्पादन करता है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेषताएं अलग-अलग होती है जो उन्हें अन्य से अलग करती है।

उत्पादन:

वर्ष 2018-19 **चाय उत्पादन का रिकार्ड वर्ष है** । उत्तर भारत के प्रमुख चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में जलवायु के अनुकूल परिस्थितियों के कारण 2017-18 की तुलना में कुल चाय के उत्पादन में 33.56 मि.कि.ग्रा. तक वृद्धि दर्ज की गई ।

निर्यातः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भारत ने चाय निर्यात की धारा को बरकरार रखा । 2017-18 की तुलना में 2018-19 में उच्च इकाई मूल्य वसूली के कारण 441.96 करोड़ के उच्च मूल्य वसूली पर 2.07 मि.कि.ग्रा. की सीमांत कमी थी।

प्राथमिक विपणन:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान देश में कुल उत्पादित चाय का 44% सार्वजनिक नीलामियों के माध्यम से बेचा गया, जिसे गत वर्ष बढ़ाया गया था एवं शेष को अन्य तरीके से बेचा गया।

घरेलू प्रतिधारण :

वर्ष 2017-18 में 1089 मिलियन कि.ग्रा. के मुकाबले वर्ष 2018-19 के दौरान चाय का अनुमानित घरेलू प्रतिधारण लगभग 1120 मिलियन कि.ग्रा. रहा।

अध्याय - 3

वित्त

प्रस्तावना

टी बोर्ड को सरकार द्वारा सहायता अनुदान से निधि दी जाती है । टी बोर्ड आंतरिक अतिरिक्त बजट स्रोत (आईईबीआर) जैसे अनुज्ञप्तियों पर शुल्क ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज तथा विविध आय जैसे तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, आवेदन पत्रों व अन्य प्रकाशनों आदि की बिक्री द्वारा लघु राशि प्राप्त करते हैं ।

टी बोर्ड को उपलब्ध सभी निधि वार्षिक संघ बजट द्वारा प्राप्त होती है । सरकार की वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन करने के विषय में चाय अधिनियम की धारा 10 में प्रतिस्थापित प्रावधानों के अनुसार टी बोर्ड द्वारा ऐसी निधि का उपयोग किया जाता है ।

उपकर प्राप्ति

वर्ष 2018-19 के दौरान चाय अधिनियम 1953 की धारा 26 के तहत उपकर की प्राप्ति में टी बोर्ड को गैर-योजना के रुप में 6805.50 लाख रु. सरकार द्वारा विनिर्मुक्त किया गया था। 1.23 लाख रु. तथा 1.82 लाख रु. अथ शेष तथा अंत शेष था ।

अनुसंधान एवं विकास अनुदान

वर्ष 2018-19 के दौरान अनुसंधान एवं विकास अनुदान के प्रति सरकार से 942.00 लाख की राशि प्राप्त की गयी । 2.00 लाख तथा 5.00 लाख रु. का अथ शेष तथा अंत शेष था एवं अन्य प्राप्तियाँ 4.03 लाख रु. थी ।

अनुसंधान (एएसआईडीई)

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार से अनदानु के रूप में कोई राशि प्राप्त नहीं हई। ुतथापि 91.00 लाख रु. एवं 33.00 लाख रु. अथ शेष तथा अत शेंष था एव अन्य प्राप्तियाँ 0.30 लाख रु. थी ।

सहायिकी

वर्ष 2018-19 के दौरान सरकार से सहायिकी के रूप में 8272.50 लाख की राशि प्राप्त हुई । 51.05 लाख रु. तथा 20.94 लाख रु. का अथ शेष था तथा अन्य प्राप्तियाँ 511.22 लाख रु. थी ।

विशेष प्रयोजन चाय निधि-पूंजीगत

वर्ष 2018-19 के दौरान, एसपीटीएफ पूंजी अंशदान के प्रति सरकार से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई ।

गैर-योजना प्राप्तियाँ एवं व्यय

क. प्राप्तियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-योजना के विभिन्न शीर्षों के तहत प्राप्तियाँ निम्नवत थी :

(₹ लाख में)

चाय अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राप्त राशि	6805.05
अनुज्ञापनों/टीएमसीओ, 2003 के बाबत वसूले गए शुल्क	237.11
एचएसीसीपी के बाबत वसूले गए शुल्क	0.00
तरल चाय की बिक्री, हरी पत्तियों की बिक्री, प्रकाशनों की बिक्री, नियत जमा पर ब्याज इत्यादि सहित विविध प्राप्तियाँ	526.89
अग्रिम पर ब्याज	5.31
डीसीटीएम के बाबत वसूले गए पंजीकरण शुल्क, असम, डुअर्स, नीलगिरि ट्रेड चिह्न व लोगो प्रशासन	22.11
अन्य प्राप्तियाँ	284.89
कुल	**7881.81**

ख. भुगतान

वर्ष 2018-19 के दौरान गैर-योजना व्यय निम्नवत थी:

(₹ लाख में)

पुस्तकालय सहित प्रशासन	3110.34
भारत में चाय संवर्धन	288.88
भारत से बाहर चाय संवर्धन	0.00
पेंशन उपदान व छुट्टी नकदीकरण सहित	3250.29
अन्य स्थापना व्यय	151.81
नई पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान	113.55
कार्य	13.03
अन्य प्रशासनिक व्यय	625.19
नियत आस्तियों का क्रय	40.30
अन्य भुगतान	286.60
कुल	**7879.99**

प्लान योजना प्राप्ति व भुगतान
ग. प्राप्तियाँ

विभिन्न प्लान योजनाओं के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्तियाँ :

(₹ लाख में)

चाय रोपण विकास सहायिकी योजना	2967.54
अनुसूचित जाति उप-योजना	919.00
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विविधिकरण योजना	334.26
मानव संसाधन विकास योजना	246.70
आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	1468.44
बाजार संवर्धन योजना	1373.06
चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	300.00
अनुसंधान व विकास योजना	942.00
जनजाति क्षेत्र उप-योजना	623.50
स्वच्छता कार्य योजना	40.00
कुल	**9214.50**

घ. भुगतान-अनुसंधान व विकास अनुदान

(₹ लाख में)

टीआरए/उपासी को सहायता अनुदान	510.63
टीआरए/उपासी के अलावा वित्तिय सहायता	21.71
परियोजना व्यय कार्सियांग -एकीकृत चाय सुधार परियोजना)	20.00
डीटीआर व डीसी का वित्तिय उन्नयन	61.06
कार्यशाला/संगोष्ठि इत्यादि	0.65
संविदागत स्टाफ को वेतन	0.51
क्यूसीएल सिलिगुड़ी व्यय	63.08
संपदा क्रय	08.81
मूल्यांकन व अनुवीक्षण	0.45
अन्य भुगतान	282.56
कुल	**969.46**

ड़. भुगतान - सहायिकी

(₹ लाख में)

रोपण सहायिकी योजना	3004.09
गुणवत्ता उन्नयन व उत्पाद विविधिकरण योजना	336.89
मानव संसाधन विकास योजना	253.52
आर्थोडॉक्स चाय उत्पादन सहायिकी योजना	1467.84
बाजार संवर्धन योजना	1499.18
अनुसूचित जाति उप-योजना	938.96
चाय विनियम हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम	650.67
जनजाति क्षेत्र उप-योजना	622.68
स्वच्छता कार्य योजना	40.00
कुल	**8813.83**

च. भुगतान- अनुसंधान योजना एएसआईडीई)

(₹ लाख में)

व्यय	1.37
कुल	1.37

छ. भुगतान-ऋण योजना

(₹ लाख में)

ऋण योजना हेतु आवर्ती कार्पस निधि	1100.07
एसपीटीएफ	16820.08
कुल	17920.15

वर्ष 2018-19 के दौरान योजना पर कुल व्यय

(घ + ड़+ च) = ₹ 9784.66 लाख

अध्याय-4

चाय विकास

परिचय:

चाय अधिनियम के अंतर्गत चाय बोर्ड के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य विकास योजनाओं का सूत्रिकरण और कार्यान्वयन है जो चाय उत्पादन और रोपण की उत्पादकता बढ़ाने,चाय प्रसंस्करण का आधुनिकीकरण, पैकेजिंग और मूल्य संवर्धन सुविधाओं एवं लघु चाय उत्पादकों में सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा देने पर लक्ष्यित है। इसके अतिरिक्त चाय बागान के कामगारों के लिए कल्याणकरी उपायों पर भी काम करना, चाय बोर्ड के कार्य में शामिल है जो रोपण श्रम अधिनियम के प्रावधानों के अनुपूरक है ।

उपरोक्त क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता अनुमोदित योजनाओं के द्वारा दी जाती है।

विकास समिति:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विकास समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं :

1. उपाध्यक्ष, चाय बोर्ड, समिति का पदेन अध्यक्ष
2. श्री पी.नागरजन, माननीय सांसद
3. श्री डी. हेगड़े, उप-सभापति
4. श्री दिलिप मोरान, माननीय विधायक, असम
5. श्री पी. मोहनन - केरल सदस्य
6. श्री अश्विनी शेट्टी - सदस्य
7. श्री बी. कुमारन, सदस्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विकास समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों को हुई :

बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	स्थान
236वीं	26 जून,2018	काजीरंगा, असम
237वीं	26 सितंबर, 2018	कोलकाता

4.1 **मध्यमवर्ती की रूपरेखा 2017 -18 से 2019-20):**

मध्यमवर्ती रूपरेखा (2017 -18 से 2019-20) के दौरान 12वीं योजना के चाय विकास और संवर्धन योजना को चालू रखने के लिए ईएफ़सी द्वारा यथा अनुमोदित चाय बोर्ड के प्रस्ताव को दिनांक 29.12.2017 के पत्र संख्या F.No.T-17014/2/2016 Plant (A) द्वारा सरकार की अनुमति से अवगत कराया गया ।

मध्यमवर्ती रूपरेखा (2017 -18 से 2019-20) के लिए चाय विकास एवं संवर्धन योजना को 394.85 करोड़ के परिव्यय के साथ स्थापना व्यय के अलावा अन्य क्रियाकलापों हेतु सरकार की मंज़ूरी दी गई जिसमें रोपण विकास, गुणवत्ता उन्नयन एवं उत्पाद विविधिकरण, बाज़ार संवर्धन, मानव संसाधन विकास, अनुसंधान एवं विकास तथा चाय विनियमन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम घटक शामिल है।

वर्ष 2018-19 के दौरान चाय विकास एवं संवर्धन योजना घटक के विकासात्मक, मानव संसाधन विकास, एससी एसपी तथा टीए एसपी के अंतर्गत संवितरित निधि

क्रम सं	योजना / घटक	व्यय (लाख रु० में)
1	रोपण विकास	2461.11
2	गुणवत्ता संवर्धन तथा उत्पाद विधिकरण तथा ऑर्थोडॉक्स चाय उत्पादन	1798.88
3	मानव संसाधन विकास	245.09
4	लघु उत्पादक विकास	503.26
5	अनुसूचित जाति उप योजना	918.99
6	जनजातीय उप योजना	622.95
	कुल	6550.28

4.2 लघु उत्पादक विकास निदेशालय:

लघु चाय उत्पादक एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में उभरा है जो देश के निर्मित चाय के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इस क्षेत्र के बढ़ते योगदान तथा लघु उत्पादकों के समग्र विकास के लिए और अधिक ध्यान देने के लिए चाय बोर्ड द्वारा अप्रैल 2013 में लघु उत्पादक विकास निदेशालय के नाम से एक अलग निदेशालय की स्थापना की गई और वह असम के डिब्रूगढ़ स्थित मुख्यालय से क्रियाशील हो गया । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सभी प्रमुख क्षेत्रों में 11 उप-क्षेत्रीय कार्यालय थे जहां लघु उत्पादक केन्द्रित हैं।

लघु उत्पादक की गणना और परिचय पत्र जारी करना :

लघु चाय उत्पादकों के बेहतर सुरक्षा के लिए कार्यक्रम के अंतर्गत बोर्ड के कार्यालयों द्वारा लघु चाय उत्पादकों की गणना करने तथा उन्हें परिचय पत्र वितरण करने जैसा महत्वपूर्ण काम अब भी चल रहा है। इस दिशा में मार्च 2019 तक हुई प्रगति का राज्यवार विवरण नीचे सारणी में प्रस्तुत है :

मार्च, 2019 तक कुल 1,97,354 लघु चाय उत्पादकों के नाम की गणना कर ली गई है तथा उसका विवरण नीचे इस प्रकार है:

क्रम सं	राज्य	उत्पादकों की संख्या	मुद्रित और जारी किए गए कार्डों की
1	असम	107371	84327
2	मेघालय	749	609
3	त्रिपुरा	2768	2447

4	पश्चिम बंगाल एवं	21701	7259
5	हिमाचल प्रदेश	1166	1097
6	उत्तराखंड	1012	310
7	मिजोरम	365	364
8	अरुणाचल प्रदेश	3309	---
9	नागालैंड	3352	---
10	मणिपुर	489	---
11	**कुल उत्तर भारत**	**142282**	**96413**
12	तमिलनाडु	46614	30679
13	केरल	8458	3898
14	कर्नाटक		
15	**कुल दक्षिण भारत**	**55072**	**34577**
16	**सकल कुल**	**197354**	**130990**

जिला हरी पत्ती कीमत निगरानी समिति द्वारा हरी पत्ती कीमत की निगरानी :

हरी पत्तियों की कीमत की निगरानी के लिए जिला स्तरीय कीमत निगरानी समिति की बैठकें विभिन्न चाय उत्पादक जिलों में हुई ।

4.3 .प्रमुख घटनाएँ :

लघु चाय उत्पादकों के लाभ तथा लघु चाय उत्पादक, बॉट लीफ़ टी फैक्ट्रीज़, इस्टेट फैक्ट्रीज़,ग्रीन लीफ़ कैरिएर्स के इस्तेमाल के लिए टी बोर्ड द्वारा " चाय सहयोग" नाम का एक मोबाइल एप्प विकसित किया गया है जिसका इस्तेमाल बोर्ड के अधिकारी बेहतर संचार सुनिश्चित करने, कीमत की जानकारी प्राप्त करने, पता लगाने, प्रशिक्षण आवश्यकता, मौसम की जानकारी और सूचना प्रसार इत्यादि के लिए कर सकते हैं । दावेदारों द्वारा इस एप्प के इस्तेमाल करने से सम्पूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी जिसके फलस्वरूप लघु चाय उत्पादक द्वारा आपूर्तित ग्रीन लीफ़ के लिए अच्छी कीमत मिल सकेगी । इस एप्प से देश भर में सभी लघु चाय उत्पादकों को दिये गए क्यूआर कोड (क्वीक रेस्पांस कोर्ड) आईडी कार्ड के इस्तेमाल से फ़ैक्टरियों द्वारा लघु चाय उत्पादकों को ग्रीन लीफ़ की कीमत का मिलने वाला प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) सुनिश्चित होगा ।

उत्तर भारत में कम गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन को रोकने के लिए 2018 में शरद ऋतु के दौरान कार्रवाई शुरू की गई जिसके तहत चाय विनिर्माण को बंद किया गया ।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद (एनएसडीसी) माध्यम से चाय बोर्ड ने चाय बागान के लगभग 14,700 कामगारों को प्रशिक्षण और कौशल मान्यता **उपलब्ध** कराया और आगे भी यह काम प्रगति पर है। रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 117 चाय कामगारों को प्रमाणित किया गया है।

असम,पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु,केरल और त्रिपुरा में चाय बागानों के लगभग 14700 कामगारों को प्रशिक्षण देने के लिए चाय बोर्ड ने 2018-19 के दौरान कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत पूर्व शिक्षण कार्यक्रम की मान्यता (प्रकार -2) का आयोजन किया जिसमें रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 117 चाय कामगारों को प्रमाणित किया गया है। शेष कामगारों को प्रशिक्षण देने का काम प्रगति पर है और इसे 2019-20 में पूरा कर लिया जाएगा ।

4.4 स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी)

सरकार के निदेशानुसार चाय बोर्ड ने बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों में तथा असम के चाय बागानों में स्वच्छता कार्य योजना (एसएपी) के कार्यान्वयन हेतु पहल की । बोर्ड के विभिन्न कार्यालयों की सफाई, आस-पास के सौंदर्यीकरण तथा पश्चिम बंगाल के दूयार्स और तेराई क्षेत्र में विभिन्न एस्टेट्स में ट्विन शौचालय के निर्माण में 40 लाख रुपये खर्च किए गए ।

4.5 बंद चाय इस्टेट :

चाय इस्टेट के बीमार / बंद होने के निम्नलिखित कारण हैं:

- खराब बागान प्रबंधन अभ्यास
- गुणवत्ता में गिरावट और कीमत की प्राप्ति
- असहज (हालांकि आमतोर पर अस्थिर नहीं है) औद्योगिक संबंध परिदृश्य
- सम्पूर्ण विकासात्मक दृष्टिकोण की कमी
- अति ऋण उन्मुख वित्त पोषण रणनीति
- मालिकाना विवाद
- श्रमिक असंतोष इत्यादि ।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बंद हुए चाय बागानों का विवरण इस प्रकार है :

क्रम सं	चाय इस्टेट का नाम	चाय के अंतर्गत क्षेत्र हेक्ट)	राज्य	बंद की तारीख	कामगारों की संख्या		वर्तमान स्थिति
					स्थायी	अस्थायी	
1	ढेकलापाड़ा	197	पश्चिम बंगाल	11.03.2006	604	200 (लगभग)	इस्टेट को औपचारिक रूप से माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा परिसमाप्त कर दिया गया । चाय बागान को **माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय** आधिकारक परिसमापक) द्वारा दिनांक 11 मई, 2012 को ई - नीलामी के लिए रखा गया था परंतु कोई संभाव्य क्रेता उपलब्ध नहीं था ।

2	बुंदापानी	530	पश्चिम बंगाल	13.07.2013	1215	68	भूमि का पट्टा समाप्त हो जाने पर राज्य सरकार ने बंद पड़े बुंदापानी टी इस्टेट की भूमि को दिनांक 15 अक्तूबर,2014 को अपने अधीन ले लिया ।
3	धरनीपुर	265	पश्चिम बंगाल	19.10.2013	357	450 (लगभग)	राज्य सरकार ने दिनांक 18 नवम्बर,2014 को बंद पड़े धरनीपुर टी इस्टेट की भूमि को अपने अधीन ले लिया ।
4	रेडबैंक	369	पश्चिम बंगाल	19.10.2013	888	700 (लगभग)	भूमि का पट्टा समाप्त होने के बाद राज्य सरकार ने दिनांक 21 नवम्बर, 2014 को बंद पड़े रेडबैंक टी इस्टेट की भूमि को अपने अधीन कर लिया है।
5	सुरेन्द्रनगर	172	पश्चिम बंगाल	19.10.2013	301	150 (लगभग)	राज्य सरकार ने दिनांक 14.11.2014 के एक आदेशानुसार सुरेन्द्र नगर टी इस्टेट की भूमि के पट्टे को रद्द कर दिया और भूमि के पट्टे को राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13.01.2015 को अपने अधीन लिया गया ।
6	मधु	323	पश्चिम बंगाल	23.09.2014	947	-	राज्य सरकार ने दिनांक 6.3.2018 को भूमि का मालिकाना अपने अधीन ले लिया ।
7.	पानीघाटा	4 60.15	पश्चिम बंगाल	10.10.2015	787	-	कामगारों के बकाया रकम आदि का भुगतान न होने के कारण श्रमिक असंतोष ।
8	मानाबाड़ी	2 81.08	पश्चिम बंगाल	21.03.2016	374	116	कामगारों के बकाया रकम आदि का भुगतान न होने के कारण श्रमिक असंतोष ।
9.	मेसर्स पीरमेड टी कंपनी लिमिटेड पीरमेड एंड लोन ट्री टी इस्टेट	679.79	केरल	01.04.2016	220	-	श्रमिकों के बकाया रकम आदि का निपटारा न होने के कारण श्रमिक असंतोष । केरल सरकार इस टी इस्टेट को पुन: खोलेने की प्रक्रिया में है ।
10.	मेसर्स एमएमजे प्लांटेशन्स-कोट्टामाला एंड बोनामी टी इस्टेट	677.51	केरल	23.12.2013/ 11.10.2014	375	-	कंपनी को केरल उच्च न्यायालय से रोक आदेश प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि वर्तमान में कंपनी का चाय अधिनियम के अंतर्गत होने के कारण उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती ।
11	बोनाकोर्ड	378.00	केरल	05.03.2015	220	-	वित्तीय संकट के कारण इस्टेट प्रबंधन ने इस्टेट का परित्याग कर दिया है ।
	कुल	**4332.53**			**6288**		

4.6 **वर्तमान में चल रही योजना के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धि का विवरण :**

घटक - रोपण विकास योजना

घटक - रोपण विकास योजना									
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां									
राज्य	**क्रियाकलाप**	**पुनर्रोपण हेक्ट)**	**पुनर्स्थापन रोपण हेक्ट)**	**जीर्णोद्धार छंटाइ हेक्ट)**	**नया रोपण हेक्ट) [12वीं योजना मामला]**	**सिंचाई हेक्ट)**	**भूमि का मशीनीकरण उपकरण की संख्या**	**अन्य प्रशासनिक व्यय**	**कुल**
असम	वित्तीय (लाख रु०)	1307.11	115.01	43.41	82.46	160.15	10.3		**1718.44**
	भौतिक	527.6	100.16	69.43	93.79	2005.03	68		
त्रिपुरा	वित्तीय (लाख रु०)		4.05						**4.05**
	भौतिक								
पश्चिम बंगाल	वित्तीय (लाख रु०)	605.99	45.87	35.41	0	17.68	2.98		**707.93**
	वित्तीय (लाख रु०)	545.47	27.91	98.43	0	355.86	0		
तमिलनाडु	वित्तीय (लाख रु०)						15.85		**15.85**
	वित्तीय (लाख रु०)						46		
केरल	वित्तीय (लाख रु०)	9.74					4.68		**14.42**
	भौतिक	3					24		
कर्नाटक	वित्तीय (लाख रु०)						0.42		**0.42**
	भौतिक						6		
अखिल भारत	वित्तीय (लाख रु०)	**1922.84**	**164.93**	**78.82**	**82.46**	**177.83**	**34.23**		**2461.11**
	भौतिक	**1076.07**	**128.07**	**167.86**	**93.79**	**2360.89**	**144**		

घटक - गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण

घटक - गुणवत्ता उन्नयन और उत्पाद विविधिकरण								
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां								
राज्य	**क्रियाकलाप >**	**कारख़ाना का आधुनिकीकरण (संख्या)**	**मूल्य संवर्धन**	**नए कारखानों की स्थापना (संख्या)**	**प्रमाण न (संख्या)**	**आर्थोडॉक्स एवं ग्रीन टी के लिए प्रोत्साहन (मिलियन किलो ग्राम)**	**अन्य प्रशास निक व्यय**	**कुल**
	वित्तीय							
असम	(लाख रु०)		121.03	93.99		962.59	0.42	**1178.03**
	भौतिक		8	0		32.06		
	वित्तीय							
त्रिपुरा	(लाख रु०)					3.15		**3.15**
	भौतिक					0.11		
पश्चिम	वित्तीय		78.74			139.81		**218.55**
बंगाल	(लाख रु०)							
	भौतिक		3			4.64		
	वित्तीय							
तमिलनाडु	(लाख रु०)		17.44	18.58	1.98	274.23		**312.23**
	भौतिक		3	9	3	9.12		
	वित्तीय							
केरल	(लाख रु०)				0.54	65.54		**66.08**
	भौतिक				1	3.89		
हिमाचल	वित्तीय							
प्रदेश	(लाख रु०)				0.84	19.999		**20.84**
	भौतिक				2	0.67		
अखिल	**वित्तीय**							
भारत	**(लाख रु०)**	**0**	**217.21**	**112.57**	**3.36**	**1465.32**	**0.42**	**1798.88**
	भौतिक	**0**	**14**	**9**	**6**	**50.49**		

घटक - लघु उत्पादक विकास योजना एवं विशेष पैकेजेस भाग-1													
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां													
	राज्य	असम		त्रिपुरा		अरुणाचल प्रदेश		मेघालय		मिज़ोरम		पश्चिम बंगाल	
घटक	क्रियाकलाप	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक
	फील्ड कार्यालय का सुदृढीकरण	25.14	50	0.77	4	0.48	2	0.55	2	0.40	2	12.69	26
लघु उत्पादक विकास	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम - कार्यशालाओं एवं प्रतिभागियों की संख्या	12.07	194	0.51	6	0.39	6	0.24	3	0·28	4		
			8740		330		290		250		180		
	नया रोपण (हेक्ट)	221.85	161.6	0.92	1.3								
	पुनररोपण (हेक्ट)												
	जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)												
	सिंचाई (हेक्ट)			0.08	0.8								
	फील्ड का मशीनीकरण उपकरणों की (संख्या)												

	लघु सहता समूह को सहायता लघु सहायता समूह की (संख्या)	5.30	1 36					4.43	1 30				
एसपीएनई	नर्सरी हितधारकों की (संख्या)									18.75	5		
	अन्य आधार रेखा मजबूत करने तथा पता लगने की क्षमता /न्यूज़ लेटर के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को किया गया भुगतान	0.42											
	कुल	**264.78**		**2.28**		**0.87**		**5.22**		**19.43**		**12.69**	

घटक - लघु उत्पादक विकास योजना एवं विशेष पैकेज भाग-2													
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां													
	राज्य	तमिलनाडु		केरल		कर्नाटक		हिमाचल प्रदेश		उत्तराखंड		अखिल भारत कुल	
घटक	क्रियाकलाप	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	वित्तीय लाख रु०	भौतिक	**वित्तीय लाख रु०**	**भौतिक**
	फील्ड कार्यालय का सुदृढीकरण	1.65	3					0.038		1.856		**43.57**	**89.00**
एसजीडी	कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम - कार्यशालाओं एवं	2.15	13 455					0.95	14 410	0.75	10 310	**17.34**	**250** **10965**
	प्रतिभागियों की (संख्या)												
	नया रोपण (हेक्ट)	3.44	3.1	8.88	4.42							**235.09**	**170.39**
	पुनररोपण (हेक्ट)	1.82	2.21	1.61	1.41							**3.43**	**3.62**
	जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)	20.2	64.44	7.82	13.6							**28.02**	**78.04**
	सिंचाई (हेक्ट)			0.15	1.50							**0.23**	**2.30**
	फील्ड का मशीनीकरण उपकरणों की (संख्या)	0.27	1									**0.27**	**1** **0**
	स्वयं सहायता समूह को सहता (संख्या)	19.09	6 229									**28.82**	**8** **295**

एसपीएनई	नर्सरी हितधारकों की संख्या)											**18.75**	**5.00**
एसपीआई	उन्मूलन एवं पुनररोपण संख्या एवं (हेक्ट)			27.32	13 11.05							**27˙32**	**13** **11.05**
	स्वयं सहायता समूह को सहायता स्वयं सहायता समूह और हितधारकों की (संख्या)			10	2 64							**10**	**2** **64**
एसकेआरपी	नर्सरी हितधारकों की (संख्या)									29.32	2	**29.32**	**2.00**
	फील्ड मशीनीकरण हित धारकों की (संख्या)							21.04	15 5			**21.04**	**155.00**
	स्वयं सहायता समूह को मदद स्वयं सहायता समूह और हितधारकों की (संख्या)							37.71	15 22 7			**37.71**	**15** **227**
	प्रशिक्षण/कार्य शालाओं /सेमीनारों की (संख्या) कार्यक्रमों और प्रतिभागियों की (संख्या)							0.11	1 70			**0.11**	**1** **70**

	अन्य एसटीजी आधाररेखा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की किया गया भुगतान	0.56						1.26				**2.24**	**0.00**
	कुल	**49.18**		**55.78**		**0**		**61.10**		**31.926**		**503.26**	

घटक -अनुसूचित जाति उप-योजना																		
वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां																		
	असम		**त्रिपुरा**		**तमिलनाडु**		**केरल**		**हिमाचल प्रदेश**		**उत्तराखंड**		**पश्चिम बंगाल**		**बिहार**		**कुल**	
क्रियाकलाप	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक	लाख रु०	भौतिक
पुनररोपण (हेक्ट)					0.05		3.47	0.4									**3.52**	**0.4**
जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)				8.76		17.5	0.53	1.3									**9.29**	**18.82**
सिंचाई (हेक्ट)					0.92	1.22											**0.92**	**1.22**

फील्ड का यांत्रिकीकरण (सं)		227		37						13		78						**355**
	175	148.1	26.03	7.7					4	9	11.82	49					**216.89**	**213.8**
स्वयं सहायता समूह को सहायता- (स्वयं सहायता समूह की (संख्या), स्वयं सहायता समूह के के लघु उत्पादकों की (संख्या)		2				3				5		4		7				**21**
	9.38	60.47			4.36	56			17.92	116	20	65	45.59	975			**97.25**	**297.5**

एफ़पीओ को सहायता - (एफ़पीओ की (संख्या), एफ़पीओ के लघु उत्पाद		1				1												**2**
कों की (संख्या)	18.71	50.4			2	29											**20.71**	**79.4**
एफ़पीओ / एफ़पीसी द्वारा नए बड़े कारखानों की स्थापना (संख्या)			46.88	1									310	2			**356.88**	**3**

कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम	. 12.36	82	0.77	5	2.42	17		1	1	10	0.6	7	41.83	53		1		**176**
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या तथा प्रतिभागियों की संख्या		3716		210		522				300		210		3289	0.16	50	**59.14**	**8297**
अध्ययन यात्रा		11		5						8		8						**32**
यात्राओं की संख्या तथा प्रतिभागियों की (संख्या)	1.29	93	2.5	210					1.6	16	1.6	16					**6.99**	**335**

इनपुट ,एल सीवी आदि के लिए एकल एसटी एसटी जी को सहायता (संख्या)		1				1						7		236				**245**
	0.1	0.67			2.77						25.15	64	68.72				**96.74**	**64.67**
शिक्षा वजी फासं (संख्या)					16.72	70	14.91	61					15.32	127			**46.95**	**258**
नेहरू पुरस्कार (संख्या)							1.88	47					0.68	7			**2.56**	**54**
अन्य प्रशासनिक /फुटकर खर्च					0.5	1	0.5	1					0.15	1			**1.15**	**3**
कुल	216.88		76.18		38.50		21.29		24.52		59.17		482.29		0.16		**918.99**	

घटक - जनजातीय क्षेत्र उप- योजना

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

	असम		त्रिपुरा		नागालैंड		मेघालय		तमिलनाडु		हिमाचल प्रदेश		उत्तराखंड		पश्चिम बंगाल		कुल	
क्रियाकलाप	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक	वित्तीय लाख ₹	भौतिक
जीर्णोद्धार छंटाइ (हेक्ट)									1.73	1.20							**1.73**	**1.2**
फील्ड का यांत्रिकीकरण (संख्या)		339		62		3						18		15				**437**
	235.32	251.8	31.96	27.7	1.98	3.8					12.62	26.00	1.36	17			**283.24**	**326.36**
स्वयं सहायता समूह को सहायता- (स्वयं सहायता समूह की (संख्या), स्वयं सहायता समूह के के लघु उत्पादकों की सं		8		1		1				5		4						**19**
	70.9	221.1	6.62		12.76				11.86	189	13.09	49					**115.23**	**459.1**

एफ़पीओ/एफ़पीसी द्वारा नए छोटे चाय के कारखानों की स्थापना	11.73	1															**11.73**	1
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम		1173		25						25		8				17		**248**
कार्यशाला / प्रशिक्षण कार्यक्रम की (संख्या) तथा प्रतिभागियों की (संख्या)	75.39	7809	14.35	917					2.50	767	1.6	16			25.98	774	**119.82**	**10283**
अध्ययन यात्रा												8		8				**16**
यात्राओं की संख्या तथा प्रतिभागियों की (संख्या)											1.6	16	1.6	16			**3.20**	**32**

इनपुट ,एलसीवी आदि के लिए एकल		49		15				2				3		1				**70**
एसटीएस टीजी को सहायता (संख्या)	5.54	254	2.54	73			1	10			11.93	33	3.45	2			**24.46**	**372**
शिक्षा वजीफा (संख्या)								0.99		3					51.65	552	**52.64**	**555**
नेहरू पुरस्कार (संख्या)															3.26	34	**3.26**	**34**
अन्य प्रशासनिक /फुटकर खर्च	5														2.64	6	**7.64**	**6**
कुल	403.88		55.47		14.47		1.00		17.08		40.84		6.41		83.53		622.95	

बोर्ड द्वारा कुल 57 जुड़वा शौचालयों का निर्माण किया गया है जिसमें अलीपुरद्वार एवं जलपाईगुड़ी जिले में 20-20 शौचालय बनाए गए हैं एवं 17 शौचालय उत्तर बंगाल के तराई क्षेत्र में बनाए गए हैं।

धुलापदुंग टीई, तेजपुर में 03-12-2018 को पीएमकेवीवाई के तहत पूर्व शिक्षा की मान्यता के प्रमाण–पत्र का वितरण

28.02.2019 को तेजपुर, असम में चाय सहयोग मोबाइल एप्प का उद्घाटन

01.03.2019 को कारबी आंगलोंग में टी एस पी के तहत औपचारिक वितरण

18.03.2018 को लघु चाय उत्पादक हेतु गेरूबारी विश्वनाथ चराली में कार्यशाला

उत्तर बंगाल में बेहतरीन प्लकिंग तथा कीट व रोगों की पहचान करने का प्रशिक्षण

उत्तर बंगाल में यंत्रीकृत प्लकिंग का प्रशिक्षण

31.10.2018 को आं. का. कुन्नूर, तमिलनाडु में उत्पादकों के लिए यांत्रिक हार्वेस्टर का प्रदर्शन

26.05.2018 से 27.05.2018 तक चाय एवं पर्यटन महोत्सव में टी बोर्ड का स्टाल

वागामॅान गांव, कुन्नूर में भूमि प्रदर्शन

कोटागिरि, तमिलनाडु में विशेषीकृत चाय का प्रशिक्षण

अध्याय - 5

अनुसंधान

अन्य विकासात्मक एवं नियामक कार्यकलापों के अतिरिक्त चाय उपभोग में वृद्धि एवं गुणवत्ता सुधार जैसे अनुसंधानात्मक कार्यकलापों में भारतीय चाय उद्योग के नियामक संस्था के रूप में टी बोर्ड भारत का अग्रणी एवं सतत योगदान रहा है । सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के मूलतत्वों के समन्वय एवं मूल्यांकन , चाय उत्पादकों एवं चाय उद्योग के आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न चाय अनुसंधान संस्थानों जैसे कि दार्जिलिंग चाय अुनसंधान एवं विकास केंद्र (डीटीआर व डीसी), कार्सियांग, दार्जिलिंग , पश्चिम बंगाल ; चाय अनुसंधान संघों (टीआरए), जोरहाट , असम और दक्षिण भारत के संयुक्त रोपक संघ (यूनाइटेड प्लांटर्स एसोसिएशन ऑफ सौदर्न इंडिया)- चाय अनुसंधान संस्थान (उपासी - टीआरएफ़) द्वारा अनुप्रयुक्त एवं नियामक शोध करा कर चाय उद्योग की जरूरतों एवं तेजी से बढ़ते हुए ज्ञान को मुहैया कराने में अनुसंधान निदेशालय का योगदान काफी रहा है । गुणवत्ता एवं चाय विनिर्माण के व्यापक क्षेत्रों , उत्पादकता में शोध आनुवांशिकी एवं जैव अभियांत्रिकी के द्वारा शुष्कता प्रतिरोधी चाय का विकास कीट एवं रोग प्रबंधन इत्यादि पर और अधिक ज़ोर दिया जा रहा है । टी बोर्ड का अनुसंधान निदेशालय देश में होने वाले चाय शोधों का समन्वय , निगरानी एवं मूल्यांकन करता है तथा चाय उद्योग के जरूरत पर आधारित आवश्यकताओं पर ध्यान देकर एवं समय - समय पर विशिष्ट अनुसंधान परियोजनाएँ तैयार कर चाय अनुसंधान को सुगम बनाता है। इन प्रयासों के द्वारा चाय उद्योग की विशेषकर उभरते हुए परिदृश्य एवं प्रतियोगी बाज़ारों के दौर में वृद्धि एवं विकास होने की संभावना है । हाल के घटनाक्रमों एवं नियामक निकायों तथा उद्योग द्वारा उठाए गए नए मांगों के कारण इस निदेशालय का नीति एवं दृष्टिकोण निमन्वत है :

- हितधारकों के जरूरत पर आधारित चाय शोध को प्राथमिकता देना ।
- यह सुनिश्चित करना कि इन शोधों का परिणाम हितधारकों तक प्रसारित हो ।
- अनुसंधान का नियमित निगरानी एवं मूल्यांकन ।
- राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय नियामक निकायों के जरूरतों के साथ समन्वय करना ।

<u>सहायता अनुदान</u>

2018-19 में अनुसंधान एवं विकास हेतु फंड का आवंटन रु. 9.42 करोड़ था , जिसमें से रू.5.52 करोड़ एवं रू.1.92 करोड़ क्रमशः टीआरए एवं उपासी को 49% सहायता अनुदान के तहत दिया गया था । उपासी - टीआरएफ़ को 31% अनुसंधान अनुदान के तहत रू.0.31 करोड़ दिया गया था ।

इसके अतिरिक्त रू.0.63 करोड़ डीटीआर एंड डीसी तथा रू.0.67 करोड़ गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला) क्वालिटी कंट्रोल लैबोरेटरी, टी पार्क , सिलीगुड़ी हेतु खर्च किया गया था ।

चाय अनुसंधान संस्थानों (टीटीआरआई, टीआरए ; उपासी-टीआरएफ़ एवं डीटीआरडीसी) की मुख्य बातें :

2018-19 के दौरान चाय शोध संस्थानों द्वारा संचालित अनुसंधान कार्यकलापें निम्नलिखित हैं :

- उपासी-टीआरएफ ने अनुप्रयुक्त उर्वरकों की दक्षता बढ़ाने हेतु ह्यूमिक एसिड ग्रैन्यूल को शामिल करने के लिए एक तकनीक विकसित की।
- आनुवंशिक एवं बायोइंजीनियरिंग के माध्यम से शुष्कता प्रतिरोधी चाय के विकास के लिए विभिन्न जर्मप्लाज्म का अनुवीक्षण जारी रहा ।
- सामान्य पैकेज चाय की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपासी-टीआरएफ द्वारा संचालित किए गए अध्ययन ने गुणवत्ता मानकों में भिन्नता दिखाई । अध्ययन के दौरान चौबीस महीने की अवधि में इंगित किया गया कि ऊलॉन्ग चाय में 35.42%, ग्रीन टी (बीओपीएफ़) में 22.19%, ऑर्थोडॉक्स (बीओपीएफ़) में 22.92%, ऑर्थोडॉक्स (ओपी) में 38.24% , सीटीसी (बीओपी -आरसी) एवं सीटीसी (बीओपी -एनआरसी) में क्रमशः 25% एवं 17.65% तथा सीटीसी (एसआरडी -आरसी) एवं सीटीसी (एसआरडी -एनआरसी) में क्रमशः 23.21% एवं 29.51% की थियाफ्लेविन की मात्रा में कमी आई थी ।
- उपासी-टीआरएफ द्वारा एलडीपीई, एचडीपीई, एल्युमिनियम फॉयल और मल्टीवैल पेपर बोरी जैसी विभिन्न पैकिंग सामग्री में सुरक्षित रखने की गुणवत्ता पर किए गए अध्ययन से पता चला है कि एल्युमिनियम फॉयल में सुरक्षित रखने की बेहतर गुणवत्ता थी , इसके बाद उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन और निम्न घनत्व वाले पॉलीइथाइलीन का गुणवत्ता अच्छा रहता है ।
- टीआरए द्वारा दीर्घकालिक परीक्षण के तहत आशाजनक सीड स्टॉक की उपज क्षमता का आकलन किया गया। स्टॉक 667 ने नियंत्रण (टीएस 520) की तुलना में उच्च हरी पत्ती की उपज (2.89 किग्रा / प्लॉट) देखी गई।
- फलाप, जो हिमालयी क्षेत्र के असम-अरुणाचल बेल्ट के शिंगपो समुदाय की एक पारंपरिक एक हस्तनिर्मित जैविक चाय है, पर असम - अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर अवस्थित तिनसुकिया एवं लोहित जिले में टीआरए के द्वारा औषधीय अध्ययन संचालित किया गया था । फलाप नमूनों की एंटीऑक्सिडेंट गतिविधि (डीपीपीएच स्कैवेंजिंग गतिविधि) के विश्लेषण ने 167.63 ± 1.24 मिमी टीएच / जी दिखाया ।
- चाय में मृदा संशोधन के लिए डोलोमिटिक लाइम के विकल्प के रूप में कैलसीप्रिल के प्रभाव पर अध्ययन जारी रखा गया है और उपज की विशेषताओं को दर्ज किया गया है। उपज की प्रवृत्ति से पता चलता है कि चाय की मिट्टी में कैलसीप्रिल का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- टीआरए वैज्ञानिकों ने पाया कि फॉस्फेट के अनुशंसित 50% के खुराक के साथ फॉस्फेट को घोलने वाले सूक्ष्मजीवों के संयोजन के अनुप्रयोग से फॉस्फेट के अनुशंसित खुराक की तुलना में चाय की उपज में थोड़ी अधिक वृद्धि हुई ।
- अजैविक चाय खेती की तुलना में जैविक चाय खेती के मृदा में सूक्ष्मजीवों के आबादी का मूल्यांकन टीआरए वैज्ञानिकों द्वारा किया गया था। अजैविक भूखंडों की तुलना में जैविक भूखंडों में सूक्ष्मजीवों की आबादी अधिक पाई गई थी । सूक्ष्मजीवों की अधिकतम जनसंख्या अकार्बनिक

कुल प्लेट गणना ; 28.6±0.5 cfux105 g-1 ; बैक्टीरिया :(27.0±4.16 cfux106 g-1); कवक :(22.6±3 cfux105 g-1) की तुलना में जैविक मृदा में कुल प्लेट गणना ; 50.0±1.1 cfux105 g ; जीवाणु ; 32.4±3.05 cfux105 g-1 ; कवक ;(40.3±5.5 cfux106 g-1) दर्ज की गई थी ।

- ट्राईकोडर्मा, बी. सबटिलिस, इत्यादि जैसे सूक्ष्मजीवी बायोसाइड्स का उत्पादन एवं विभिन्न व्यापारिक टी इस्टेटों के साथ-साथ लघु चाय उत्पादकों के जरूरतों को पूरा करने हेतु टीटीआरआई , टीआरए द्वारा अन्तः एवं अन्तः विभागीय अनुसंधान एवं विकास कार्यकलापें जारी है ।
- चाय में उपयोग के लिए सीआईबी पंजीकरण हेतु टीआरआई द्वारा नए कीटनाशकों का डेटा संकलन जारी रखा गया था ।
- डीटीआरडीसी में लोकप्रिय दार्जिलिंग क्लोन - P312, AV2 , चीनी जाट - T78, T135 और TS378 के लिए रोलिंग और किण्वन प्रक्रिया में हेरफेर के साथ ओर्थोडोक्स काली चाय का उत्पादन किया गया था । विनिर्माण तीन प्रक्रियाओं में किया जाता है - 30 मिनट रोलिंग और सुखाना, 45 मिनट रोलिंग और सुखाना तथा 45 मिनट रोलिंग एवं 30 मिनट किण्वन व सुखाना । 2री फ्लश के दौरान, उपरोक्त समय के हेरफेर के साथ P312, AV2, T78, T135, और TS378 के नमूनों में कुल पॉलीफेनोल की मात्रा बिना किण्वन के 30 मिनट के रोलिंग में अधिक पाए जाते हैं। प्रथम सेट में P312 और AV2 में कुल पॉलीफेनोल का उच्चतम % तथा T135 में सबसे कम दर्ज किया गया था। प्रथम सेट के साथ दूसरी एवं तीसरी सेट की तुलना करने पर सभी क्लोनों ने कुल पॉलिफेनॉल कंटैंट में घटते रुझान को दिखाया। दूसरे फ्लश के तीसरे सेट में अधिकांश नमूनों में थिएफ्लेविन का उच्चतर % मिला है, इसलिए तीसरे सेट के नमूनों में कुल प्रभा (ब्राइटनेस) मान भी अधिक है। प्रभा का कुल मान 7.52 से 13.93 (चीनी जाट से TS378) के बीच है। आमतौर पर दूसरी फ्लश के तीसरी सेट के नमूनों के सभी नमूनों के दौरान उच्चतर टी / आर और टीएलसी पाया गया ।
- डीटीआरडीसी में स्थानीय वियोजक से तैयार किया गया 9 लीटर ट्राइकोडर्माकल्चर को प्रायोगिक परीक्षण के लिए दार्जिलिंग के विभिन्न चाय इस्टेटों को दिया गया था।
- डीटीआरडीसी फर्म में घुन से ब्यूवेरिया के चार विकृतियाँ एवं बास्केट वर्म से अलग किया गया था। उनमें से तीन की पहचान एआरआई- पुणे ने ब्यूवेरियाबासियाना के रूप में तथा चौथी को ब्यूवेरिया एसपी एएफएफ. बी. ब्रोंग्निआर्टि (आणविक पहचान आवश्यक) के रूप में की थी। ये सभी एनएफ़सीसीआई , पुणे में जमा किए गए थे। अभिगमन सं. 4448 से 4451 तक हैं।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में चाय के विभिन्न पहलुओं पर टीआरआई द्वारा लगभग 14 शोध पत्र प्रकाशित किए गए थे।
- टी इस्टेटों / कारखानों में टीआरए और उपासी-टीआरएफ के सलाहकार अधिकारियों / वरिष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा नियमित दौरा किया गया था । टीआरए / उपासी-टीआरएफ एवं डीटीआरडीसी ने बड़े चाय उत्पादकों सहित लघु चाय उत्पादकों हेतु चाय खेती के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों / कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

- टीआरए , उपासी एवं डीटीआरडीसी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में बागान के मालिक / निर्यातकों के लिए आवश्यक कीटनाशक अवशेषों सहित विभिन्न महत्वपूर्ण मापदंडों हेतु मिट्टी, उर्वरक, तथा तैयार चाय के हजारों नमूनों का विश्लेषण किया गया।
- चाय के संबंध में एपीजे - एसएलजी के माध्यम से प्राप्त कई एसपीएस / टीबीटी सूचनाओं का विश्लेषण किया गया एवं एपीजे-एसएलजी को इसके उत्तर भेजे गए ।

12वीं योजना की शोध परियोजनाएँ : संयंत्र बेहतरी, मशीनीकरण, गुणवत्ता में वृद्धि एवं जैव योगों पर चार एकीकृत परियोजनाओं के तहत महत्वपूर्ण निष्कर्ष परिणाम इस प्रकार हैं :

- मशीनीकरण परियोजना के तहत आईएचबीटी, पालमपुर द्वारा प्रोटोटाइप लीफ सॉर्टर का विकास।
- ब्लिस्टर ब्लाइट रोग प्रतिरोध के लिए 4 आशाजनक जीनोटाइप आईएचबीटी , पालमपुर द्वारा चाय सुधार परियोजना के तहत सूचीबद्ध किए गए थे।
- टीआरए द्वारा पूर्वोत्तर भारत में मशीन द्वारा फसल कटाई के लिए सबसे अनुकूल अवधि की पहचान।
- पेस्टालोटिया एवं फ्यूसारियम जैसे चाय रोगाणु के विरूद्ध चयनित जैव - नियंत्रण विकृतियों (जिसे दो स्त्रोतों जैसे कि राइजोस्फ़ेयर एवं लाइकोपोडियमराइजोस्फ़ेयर द्वारा चयनित किया गया था) की क्षमताओं का परीक्षण किया गया है और विश्वभारती द्वारा आशाजनक पाया गया है।
- इंद्रियाग्राही (ऑर्गेनोलेप्टिक) रिपोर्ट के अनुसार , प्राप्त परिणामों से सभी मानदंडों हेतु पारंपरिक रोटोरवेन के तुलना में पुनःसज्जित रोटोरवेन सहित बेहतर गुणवत्ता वाली फलकप) की प्राप्ति हुई थी । एक ही आकार के लघु संशोधित रोलिंग टेबुल (एमएमआरटी) एवं पारंपरिक रोलिंग टेबुल का निर्माण टीआरए परियोजना के तहत लगभग 60% सम्पूर्ण हुआ है ।
- पीटिंग मशीन (एसटीएचआईएल मोडेल) मैनुअल विधि की तुलना में श्रमिकों की उत्पादकता को छह गुना तक बढ़ाने के लिए उपयोगी थी, जमीन से 22, 24 और 26 की ऊँचाई पर मोटी लकड़ी की शाखाओं को काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली स्पीनिंग डिस्क के साथ प्रूनिंग मशीन मैनुअल विधि की तुलना में चार गुना तक श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उपयोगी है, स्किफिंग मशीन ने उपासी के मशीनीकरण परियोजना के तहत मैनुअल विधि की तुलना में श्रमिकों की उत्पादकता पांच गुना तक बढ़ा दी है।
- कोराकुंदाह इस्टेट में पुरानी अंकुरित चाय की आबादी की जांच करने के परिणामस्वरूप छह झाड़ियों का चयन पाला सहिष्णुता के साथ किया गया, एक ट्रिपलोइड संतति विकसित की गई , सांख्यिकीय और जैविक कार्यों के आधार पर q-PCR के प्रमाणीकरण विश्लेषण हेतु शुष्कता, गुणवत्ता और रोग प्रतिरोध से संबंधित सात अलग-अलग अभिव्यक्त जीन उपासी - टीआरएफ़ द्वारा चाय सुधार कार्यक्रम के तहत चुने गए।
- डीटीआरडीसी द्वरा चाय सुधार कार्यक्रम तहत अच्छी गुणवत्ता वाले 19 आशाजनक अनुवृद्धियों की पहचान की गयी ।
- **TS560** दार्जिलिंग चाय की खेती हेतु जारी किया गया , **TV34** एवं 35 अस्थायी रूप से व्यावसायिक खेती के लिए जारी किया गया , टीआरए द्वारा चाय सुधार कार्यक्रम के तहत शुष्कता सहिष्णु कृषिजोपजाति (कल्टीवार) की पहचान की गयी है ।

नियामक मुद्दे :

- **पौध संरक्षण कोड (प्लांट प्रोटेक्शन कोड / पीपीसी) :** "पीपीसी पर गठित तकनीकी समूह" के सुझावों के अनुसार पीपीसी का 10 वां संस्करण चाय में उपयोग के लिए कीटनाशकों की अद्यतन सूची के साथ जारी किया गया है।
- भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण एफ़एसएसएआई) ने राजपत्र अधिसूचना संख्या 537 दिनांक - 24 दिसम्बर, 2018 के माध्यम से चाय की खेती में प्रयोग हेतु 12 कीटनाशकों के लिए कोडेक्स एमआरएल को अपनाया । वर्तमान में, एफ़एसएसएआई द्वारा चाय की खेती हेतु कुल 33 कीटनाशकों के न्यूनतम अवशिष्ट सीमा एमआरएल) तय किया गया है।
- चाय में प्रोपरगाईट का नई ईयू एमआरएल 28.06.2018 के प्रभाव से 10 मिलीग्राम / किलोग्राम तय किया गया है।

गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला (क्यूसीएल) , सिलिगुड़ी

- क्यूसीएल, सिलीगुड़ी को रासायनिक और कीटनाशक अवशेषों के 33 मापदंडों पर परीक्षण के लिए 07.11.2018 को एनएबीएल मान्यता का नवीकरण मिला है। क्यूसीएल को जैविक परीक्षण के क्षेत्र में 2 माइक्रोबायोलॉजिकल मापदंडों कुल प्लेट गणना एवं खमीर व फफूँदी गणना) के लिए एनएबीएल मान्यता प्राप्त हुआ है।
- एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित जैव रासायनिक मापदंडों के तहत परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 250 है और गुणवत्ता मापदंडों के लिए परीक्षण किए गए प्रयोगात्मक नमूनों की संख्या185 हैं।
- कीटनाशक अवशेषों के लिए परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 171 है।
- भारी धातु के लिए परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 169 है।
- सूक्ष्मजैविकी मापदंडों के तहत परीक्षण किए गए वाणिज्यिक नमूनों की कुल संख्या 103 है।
- कुल राजस्व की प्राप्ति रू. 11,14,000/- हुई है ।
- एक नोडल प्रयोगशाला के रूप में सूक्ष्मजैविकी मापदंडों और चाय मैट्रिक्स में कीटनाशक पर दो अंतर प्रयोगशाला परीक्षण (आईएलसी) कार्यक्रम का संचालन किया ।

चाय जीनोम अनुक्रमण परियोजना

चाय दुनिया का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण कैफीन युक्त पेय है जिसका अपार आर्थिक, औषधीय और सांस्कृतिक महत्व है। लंबे गर्भ काल, आत्म-असंगति, अत्यधिक विषम व बड़े जीनोम की जटिलताओं के कारण पारंपरिक प्रजनन पद्धति के माध्यम से चाय का आनुवंशिक सुधार बहुत चुनौतीपूर्ण और लंबा समय लेने वाला रहा है। इस स्थिति में, मार्कर सहायक प्रजनन (एमएबी) का अनुप्रयोग एक

बेहतर विकल्प है। यह दृष्टिकोण भविष्य में चाय पर अग्रिम शोध करने और बेहतर रोपण सामग्री विकसित करने के लिए आणविक प्रजनकों और जैव प्रौद्योगिकीविदों के लिए एक मंच प्रदान करेगा। टी जीनोम सीक्वेंसिंग परियोजना एक बड़ी पहल है जो राष्ट्रीय चाय अनुसंधान फाउंडेशन (एनटीआरएफ) , टी बोर्ड द्वारा चार वर्षों के लिए दो चरणों में इन संस्थानों के सहयोग से शुरू की गई है - (i) आईसीएआर-एनआरसीपीबी, दिल्ली (ii) सीएसआईआर-आईएचबीटी, पालमपुर (iii) डीटीआर एंड डीसी, कार्सियोंग (iv) टीआरए, जोरहाट और (v) उपासी-टीआरएफ, तमिलनाडु । यह परियोजना 3 अप्रैल, 2017 को शुरू की गई थी और निरंतर जारी थी।

महत्वपूर्ण बैठकें : पौध संरक्षण कोड (पीपीसी) पर गठित तकनीकी समूह की 11 वीं बैठक 4 दिसंबर , 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी।

अध्याय - 6

चाय संवर्धन

परिचय :

टी बोर्ड के प्रमुख कार्यों में से एक संवर्धनात्मक क्रियाकलापें संचालित करना भी है , जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत को गुणवत्ता चाय का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनाना है । भारतीय चायों के अनेक क़िस्मों एवं श्रेणियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु संवर्धनात्मक क्रियाकलापों में इस लक्ष्य के साथ तेजी लायी गयी है कि लक्षित बाज़ारों में भारतीय चायों की हिस्सेदारी बढ़े एवं साथ ही साथ घरेलू खपत में भी वृद्धि हो । उन चयनित देशों में केन्द्रित ध्यान दिया गया था , जहाँ पर निर्यात को बढ़ावा देने हेतु ज्यादा संभावनाएँ हैं । निर्यात तथा विदेश में भारतीय ब्राण्डों के के चाय के विपणन को बढ़ावा देने हेतु भारतीय निर्यातकों को भी हर संभव सुविधा मुहैया कराई गयी थी ।

2018-19 के दौरान भारत में चाय उत्पादन एवं भारत से निर्यात की समीक्षा

भारत ने वर्ष 2017-18 के उच्चतम 1325.05 मिलियन किलोग्राम चाय उत्पादन को पार करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 1350.04 किलोग्राम चाय का उत्पादन किया था एवं यह देश में अभी तक दर्ज किए गए मात्रा में उच्चतम है । पिछले वर्ष की तुलना में कुल चाय उत्पादन में 24.99 मि.किग्रा. (1.89%) की वृद्धि हुई थी।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निर्यात किए गए चाय की कुल मात्रा 254.50 मि.किग्रा. थी जिसकी कीमत 5506.84 करोड़ रु० थी , जिसमें 2.07 मि.किग्रा. (-0.81%) की मामूली कमी हुई थी । हालांकि, निर्यात किए गए चाय की कीमत 5506.84 करोड़ रु० यानि 8.73 प्रतिशत की वृद्धि थी जो पिछले वर्ष के तदनरूप अवधि के तुलना में अधिक थी क्योंकि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उच्च इकाई कीमत की प्राप्ति हुई थी।

संक्षिप्त में तुलनात्मक स्थिति नीचे दी गयी है :

वर्ष	मि. किग्रा. में परिमाण	रु. करोड़ में मूल्य	मि. यूएसडी में मूल्य	रू./किग्रा. में इकाई मूल्य	$./किग्रा. में इकाई मूल्य
2018-19	254.50	5506.84	787.50	216.38	3.09
2017-18	256.57	5064.88	785.92	197.41	3.06

निम्नलिखित देशों में निर्यात में वृद्धि देखी गयी थी :

क्र. सं.	देशों का नाम
1.	ईरान में 9.83 मिलियन किग्रा. (32%)
2.	बांग्लादेश में 3.00 मिलियन किग्रा. (650%)
3.	चीन में 1.58 मिलियन किग्रा. (18%)
4.	कजाखस्तान में 0.54 मिलियन किग्रा. (6%)

2018-19 के दौरान सवर्धनात्मक क्रियाकलापों की समीक्षा

महत्वपूर्ण व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में भाग लेकर , निर्यात हेतु रूस , कजाखस्तान एवं चीन जैसे अत्यधिक संभावित देशों में चाय प्रतिनिधिमंडल भेज कर , चाय व्यापार के साथ बड़े स्तर पर संपर्क-कार्य कायम कर , व्यापारिक पूछताछ में भाग लेकर , ईरान यूरोपियन यूनियन , रूस जैसे देश के प्रमुख बाज़ारों में भारतीय चाय के मांग में वृद्धि तथा रूस , कजाखस्तान , ईरान , मिस्त्र , संयुक्त राज्य अमेरिका , जर्मनी , जापान , संयुक्त अरब अमीरात इत्यादि देशों के प्रमुख बाज़ारों में बाजार भागेदारी में वृद्धि के उद्देश्य से चाय के गुणवत्ता व सुरक्षा मानकों से संबन्धित मुद्दों पर ध्यान देकर टी बोर्ड ने 2018-19 के दौरान विभिन्न प्रकार के संवर्धनात्मक कार्य-कलापें संचालित किया था । इसके अतिरिक्त चाय निर्यात के साथ-साथ विस्तृत बाजार एवं व्यापार संबन्धित सूचनाओं में हुए प्रगति को टी बोर्ड विदेश में अवस्थित अपने मास्को कार्यालय तथा मुख्यालय के माध्यम से चाय उद्योग को अवगत कराते रहता है । अन्य क्रियाकलापों में भारतीय चाय के अच्छे छवि को बरकरार रखने एवं टी बोर्ड के प्रति जनता के सकारात्मक समझ को प्रभावित करने हेतु सार्वजनिक कार्यक्रम भी शामिल हैं । भारतीय चायों के विभिन्न क़िस्मों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में टविटर, फेस्बूक इत्यादि जैसे सोशल मीडिया माध्यम बहुत प्रभावी सिद्ध हो रहा है ।

भारत, यूएसए, जापान एवं कनाडा के चाय परिषदों का निरंतर सदस्य है एवं चाय परिषदों द्वारा संचालित "चाय" के प्रजातिगत संवर्धन से लाभान्वित हुआ है ।

निरंतर आने वाले आगंतुकों के मध्य भारतीय चाय के विशेषता एवं विलक्षणता का प्रचार-प्रसार करने के उद्देश्य से खरीदारों और विक्रेताओं के बीच दोतरफा आदान-प्रदान को सम्पन्न करने हेतु टी बोर्ड ने 2018-19 के दौरान ईरान, रूस, सऊदी अरब, यूएई, चीन, जर्मनी और जापान के आठ (8) प्रतिष्ठित व्यापार मेलों में भाग लिया । इसके अतिरिक्त रूस, कजाकिस्तान और चीन के अत्यधिक संभावित बाजारों में तीन (3) प्रभावी और सफल व्यापार प्रतिनिधिमंडल को व्यापार विपणन हेतु व्यापार बी -2-बी) वार्तालाप और संबंधित सरकारी अधिकारियों के साथ व्यापार-संबंधित विभिन्न मुद्दों को देखने हेतु भेजा गया था । इसके अलावा, टी बोर्ड भारत ने इसी अवधि के दौरान विभिन्न स्थानों पर आयोजित छह (6) घरेलू व्यापार मेलों में भाग लिया था ।

2018-19 के दौरान प्रमुख मदों पर किए गए व्ययों का संक्षिप्त ब्यौरा विस्तृत विवरण सहित नीचे दिया गया है।

2018-19 के दौरान किए गए व्यय

(रू. करोड़ में)

प्रमुख मद	2017-18	2018-19
देशी संवर्धन	0.63	1.02
विदेशी संवर्धन	4.86	3.97
वाणिज्य संबन्धित कार्य-कलापें	0.56	1.31
निर्यातकों / संघों को प्रोत्साहन	3.22	4.23
प्रचार	1.32	0.8
ई-प्रशासन	0.65	0.68
विविध	0.06	1.66
कुल	**11.30**	**13.67**

अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम

क्र. स.	कार्यक्रम का नाम	अवधि
1	ईरान एग्रो 2018, तेहरान	29 जून से 2 जुलाई , 2018
2	वर्ल्ड फूड मास्को	17 से 20 सितंबर , 2018
3	चीन जियामेन इंटरनेशनल टी इंडस्ट्री फेयर	18 से 22 अक्टूबर , 2018
4	फूडेक्स सऊदी	12 से 15 नवंबर , 2018
5	प्रोडेक्स्पो , मास्को	11 से 15 फरवरी , 2019
6	बायोफाक नुरेमवर्ग , जर्मनी	13 से 16 फरवरी , 2019
7	गल्फफूड दुबई	17 से 21 फरवरी , 2019
8	फूडेक्स जापान	5 मार्च से 8 मार्च , 2019

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल

क्र. सं.	व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नाम	अवधि
1	कजाखस्तान में गए व्यापार प्रतिनिधिमंडल	अगस्त , 2019
2	रूस में गए व्यापार प्रतिनिधिमंडल	सितंबर , 2019
3	चीन में गए व्यापार प्रतिनिधिमंडल	अक्टूबर , 2019

घरेलू कार्यक्रम

क्र. सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि
1	इंडस फूड 2019, नोएडा	14 से 15 जनवरी, 2019
2	वर्ल्ड टी एंड कॉफी एक्स्पो , मुंबई	29 नवंबर से 01 दिसंबर, 2018
3	आहार फूड एंड होसपिटालिटी फेयर , चेन्नई	23 अगस्त से 25 अगस्त, 2018
4	15वीं एग्रो फूड एंड बेवेरेज़ प्रोसेसिंग एक्स्पो , गोवा	2 से 4 अगस्त, 2018
5	फूड एंड टेक्नालजी एक्स्पो , नई दिल्ली	27 से 29 जुलाई, 2018
6	टी सेमिनार एंड एग्जहिबिसन ऑन कांगड़ा टी , पालमपुर	19/06/2018

विदेशी संवर्धन एवं व्यापार प्रतिनिधिमंडल

(A) व्यापारिक मेलों एवं प्रदर्शनियों के द्वारा संवर्धन

1. 29 जून से 02 जुलाई, 2018 के दौरान तेहरान में आयोजित "ईरान एग्रो-फूड तेहरान" में भागीदारी:

29 जून से 02 जुलाई, 2018 के दौरान तेहरान में आयोजित 25वां ईरान एग्रो-फूड अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला एक प्रसिद्ध व्यापार प्रदर्शनी है जिसमें कृषि, खाद्द और पेय प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग, बेकरी, कन्फेक्शनरी, स्नैक्स, कॉफी, चॉकलेट आइसक्रीम, खाद्द सामग्री और खाद्द, पेय पदार्थ और खाद्द पदार्थ सेवा क्षेत्र शामिल है । यह हर साल प्रसिद्ध तेहरान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किए जाते हैं। यह आयोजन वर्षों से ईरान में विभिन्न आयात और वितरण माध्यमों पर उत्पादकों की प्रदर्शनी करने के साथ - साथ उत्पादकों के लिए एक संदर्भ बिंदु के रूप में सबसे अच्छा तरीका बन गया है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को महत्वपूर्ण नेटवर्किंग अवसर प्रदान करता है।

इस वर्ष भी ब्राजील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, नीदरलैंड, स्पेन और तुर्की के प्रतिनिधित्व के साथ तेहरान परमानेंट फेयर ग्राउंड में प्रथागत उत्साह के साथ व्यापार मेले का आयोजन किया गया । विभिन्न प्रकार के खाद्द उत्पादों का स्वाद लेने के लिए करीब 1 लाख दर्शक एवं 450 से अधिक प्रदर्शक आए। चूंकि ईरानी लोगों के मानस में चाय का एक महत्वपूर्ण स्थान है जो भारतीय चायों के विविधताओं से बेहद प्रभावित हैं, टी बोर्ड भारत ने ईरान में भारतीय चाय की दृश्यता और संवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए मेले में भाग लिया ।

टी बोर्ड के स्टाल ने पोस्टरों के विस्तृत श्रेणी के साथ-साथ कंपनी स्क्रॉल-अप जो भारतीय चाय के विभिन्न पहलुओं - जैसे विस्तृत और विशाल चाय सम्पदा, शानदार लोगो, जीवंत कार्यबल एवं उत्फुल्ल उत्पाद श्रेणी को प्रदर्शित कर रहे थे, वह पूरे बूथ में प्रदर्शन के लिए पर्याप्त थे। दार्जिलिंग, असम,सिक्किम और नीलगिरि जैसे तरल चाय के नमूनों को काउंटरों पर केंद्रित प्रचार के साथ प्रदर्शित किया गया था। इसने सभी चार दिनों के दौरान आगंतुकों की काफी संख्या को आकर्षित किया । काउंटरों पर तरल चाय का नमूना एक तात्कालिक सफलता थी, जहाँ पर उत्तम किस्मों का स्वाद लेने के लिए लोगों की होड़ लगी थी । सीईओ, ईरानी चाय आयोग (आईटीसी) , ईरानी संघ के खाद्य थोक विक्रेताओं के एक आधिकारिक उपसमूह के साथ एक विस्तृत चर्चा की गई थी और उन्होंने व्यापार आश्वासन प्रमाणपत्र जारी किए तथा सीमा शुल्क, मानकों, कृषि मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्द्योग मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय आदि से संबंधित मुद्दों को हल करने में मदद करने के लिए सुरक्षित और सफल व्यवसाय प्रथाओं को स्थापित करने के लिए आश्वासन भी दिया।

2. 17-20 सितंबर, 2018 के दौरान "वर्ल्ड फूड, मॉस्को", रूस में भागीदारी : "वर्ल्ड फ़ूड मॉस्को" रूस में खाद्य उत्पादों के लिए अग्रणी अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जो 17 सितंबर से 20 सितंबर, 2018 के दौरान मॉस्को शहर के एक्सपो सेंटर आयोजित हुई थी । पिछले 20 वर्षों में, वर्ल्ड फूड मॉस्को खाद्द एवं पेय उद्योग के लिए एक प्रमुख मिलन स्थल के रूप में विकसित हुआ है तथा रूसी बाजार के लिए उत्पादों

का एक व्यावसायिक स्रोत बन गया है। प्रदर्शकों को नौ मुख्य क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है एवं यह सुनिश्चित किया गया था कि आगंतुक आसानी से अपने रुचि के उत्पाद पा सके, उनकी तुलना कर सके और अपने निर्माताओं से बात कर सके । प्रदर्शनी ने एक विशाल दर्शक वर्ग को आकर्षित किया था जिसमें थोक व्यापारी, वितरक, खुदरा विक्रेता और रेस्तरां शामिल थे । इसका मतलब यह है कि प्रदर्शक एक ही समय में दो प्रमुख उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। (1) वे इस विश्वसनीय बाजार में अपने उत्पाद के लिए एक विश्वसनीय वितरक प्राप्त कर सकते हैं और (2) अपने उत्पाद के लिए मांग का ठीक-ठीक अंदाजा भी लगा सकते हैं। वर्तमान संस्करण में दुनिया भर के 70 देशों के 1500 से अधिक प्रदर्शक और 50 देशों के लगभग 26,000 आगंतुक शामिल हुए थे ।

इंडिया टी पवेलियन: इंडिया टी पवेलियन का आयोजन पेवेलियन -8 (3) में प्रदर्शनी के पेय सेक्शन में 150 वर्ग मीटर (टी बोर्ड इंडिया द्वारा सबसे बड़ा जगह लिया गया था) के क्षेत्र में किया गया था। पवेलियन का स्थान भारतीय चाय के ब्रांडों को अधिकतम दृश्यता देने के इरादे से चुना गया था। टी बोर्ड भारत पवेलियन के माध्यम से सोलह (16) प्रमुख निर्यातकों ने प्रदर्शनी में भाग लिया था । व्यापारिक पूछताछों की संख्या बहुत उत्साहजनक थी। पहले दिन आए हुए कुछ निर्यातकों की संख्या 100 से अधिक थी। असम चाय के संबंध में अधिकतम व्यापारिक पूछताछ हुई एवं इसके बाद दार्जिलिंग चाय का स्थान था । चार दिवसीय आयोजन के दौरान टी बोर्ड पवेलियन में लगभग 50 पूछताछों का गवाह बना। बोर्ड के पवेलियन में भाग लेने वालों की राय यह थी कि भारतीय चाय की दृश्यता और रूसी बाजार के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए इस प्रदर्शनी में नियमित भागीदारी की आवश्यकता है।

एक "क्रेता-विक्रेता बैठक" का आयोजन 19 सितंबर, 2018 की शाम को किया गया था। इसमें निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया था :

1. भारतीय निर्यातक ;
2. भारत के साथ आयात और निर्यात में संलग्न रूसी कॉर्पोरेट ;
3. कमर्शियल इंडो बैंक, मास्को के कुछ मौजूदा भारतीय ग्राहक ।

यह कार्यक्रम निर्यातकों और स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रमंडल देशों सीआईएस क्षेत्र) के आयातकों के बीच व्यापारिक नेटवर्किंग स्थापन में काफी उपयोगी साबित हुई थी।

3. टी बोर्ड भारत ने **18 से 22 अक्टूबर, 2018 के दौरान आयोजित ज़ियामी इंटरनेशनल टी इंडस्ट्री फेयर (शरद ऋतु संस्करण)** में 9 निर्यातकों के साथ एक प्रभावशाली इंडिया टी पवेलियन के माध्यम से भाग लिया । दार्जिलिंग, असम ऑर्थोडॉक्स, असम सीटीसी, सिक्किम, नीलगिरि एवं मसाला चाय के नमूनों का प्रदर्शन प्रत्येक दिन किया जिसे चीनी चाय के विशेषज्ञों एवं आगंतुकों द्वारा काफी सराहा गया ।

4. 12 से 15 नवंबर, 2018 के दौरान जेद्दा में आयोजित "सऊदी फोडेक्स" में टी बोर्ड की भागीदारी : टी बोर्ड बोर्ड ने भारत सरकार से मंजूरी मिलने के पश्चात् 12-15 नवंबर, 2018 के दौरान आयोजित "सऊदी फोडेक्स 2018, जेद्दा" में एक इंडिया पवेलियन का आयोजन किया।

कार्यक्रम : प्रिंस अब्दुलअज़ीज़ बिन नवाफ़ बिन अब्दुलअज़ीज़ ने जेद्दा सेंटर फॉर फ़ोरम एंड इवेंट्स में 12 नवंबर, 2018 को "सऊदी फोडेक्स 2018" का आधिकारिक तौर पर उद्घाटन किया था, जो खाद्द और पेय वस्तु का एक्सपो था । यह कार्यक्रम 32 देशों की व्यापक भागीदारी के साथ 6वां संस्करण था जिसमें खाद्द एवं पेय क्षेत्र को कवर करते हुए 550 से अधिक अंतरराष्ट्रीय ब्रांडों के माध्यम से देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था । प्रदर्शनी से जागरुकता बड़ाने में मदद मिली। वर्तमान संस्करण में दुनिया भर के 32 देशों के 209 से अधिक प्रदर्शकों एवं लगभग 8000 आगंतुकों ने भाग लिया था ।

इंडिया टी पवेलियन: पवेलियन में प्रदर्शनी के ए खंड में इंडिया टी पैवेलियन का आयोजन किया गया था। पवेलियन का स्थान भारतीय चाय को अधिकतम दृश्यता देने के इरादे से चुना गया था। टी बोर्ड भारत के माध्यम से छह प्रमुख निर्यातकों ने प्रदर्शनी में भाग लिया। टी बोर्ड पवेलियन का उद्घाटन जेद्दाह में भारत के महावाणिज्यदूत श्री मोहम्मद नूर रहमान शेख द्वारा किया गया ।

व्यापारिक पूछताछ की संख्या बहुत उत्साहजनक थी। पहले दिन आए हुए निर्यातकों की कुल संख्या 20 से अधिक थी । अधिकतम व्यापारिक पूछताछ जैविक चाय, ग्रीन टी, असम चाय के बारे में की गयी । इसके बाद दार्जिलिंग चाय का स्थान था । टी बोर्ड के चार-दिवसीय आयोजन के दौरान दार्जिलिंग,असम,सिक्किम और नीलगिरि जैसे तरल चाय के नमूनों का प्रदर्शन काउंटरों पर किया गया था । इसने सभी चार दिनों के दौरान आगंतुकों की काफी संख्या को आकर्षित किया था । सऊदी अरब में चाय एक मजबूत संस्कृति के साथ - साथ एक बहुत लोकप्रिय गर्म पेय पदार्थ है। सुबह चाय पीने एवं मेहमानों को चाय परोसने की एक प्रथा है जो पारंपरिक अरबी अतिथि सत्कार से जुड़ी हुई है। सउदी अरब के लोग अपने दिन की शुरुआत कड़क स्वाद वाली मिश्रित काली चाय की एक प्याली के साथ करना पसंद करते हैं, जिसे अक्सर चीनी, पुदीना या इलायची इत्यादि मिश्रित कर बनाया जाता है। सऊदी अरब में चाय का निवेश बढ़ने की उम्मीद है । सऊदी अरब आने वाले वर्षों में चाय को अपने पसंदीदा गर्म पेय के रूप में तरजीह देना जारी रखेगा । सुपरमार्केट के माध्यम से खुदरा विक्री में वृद्धि जारी रहेगी । हालांकि, खुले चाय पत्ती लूज टी लीफ़) खरीदने वाले चाय उपभोक्ताओं के घटते अनुपात के साथ चाय की थैलियों का थोक में अधिक विक्री होती है। सऊदी अरब के चाय बाजार में स्थानीय और वैश्विक दोनों चाय आपूर्तिकर्ताओं की मजबूत उपस्थिति है। अपने ब्रांड के साथ लिप्टन चाय फैक्ट्री एफ़ज़ेडई , एवं अपने प्रमुख ब्रांड अल राबेया के साथ एएमएस बैशेन एंड कंपनी, काली चाय के क्षेत्र में - टी बैग और लूज टी सेगमेंट दोनों में प्रमुख आपूतिकर्ता है । सऊदी अरब के इस तरह के एक संभावित बाजार में भारतीय चाय की बढ़ी हुई पैठ को अपनी विशेषताओं के व्यापक प्रचार के साथ-साथ सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली के माध्यम से स्थानीय बाजारों में शुद्ध भारतीय आर्थोडॉक्स चाय की उन्मुक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर आधार पर एक निर्णायक रणनीति बनाने की आवश्यकता है । जैविक और ग्रीन टी उभरते हुए क्षेत्र हैं ।

5. 11 से 15 फरवरी, 2019 के दौरान मास्को, रूस में "प्रोडेक्सपो" में भागीदारी: रूस में **"प्रोडेक्सपो"** सबसे बड़ी वार्षिक विशिष्ट प्रदर्शनी है। इसने 20 से अधिक वर्षों के दौरान रूस में घरेलू खाद्द उद्योग के विकास को सुनिश्चित किया है। वर्षों के अपने अस्तित्व के दौरान प्रोडेक्सपो प्रदर्शनी ने रूसी खाद्द उद्योग को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान प्रोडेक्सपो खाद्द, पेय और खाद्य के कच्चे माल के लिए अपनी 25 वीं वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का गवाह रहा एवं इसका आयोजन मेसर्स एक्स्पोसेंटर मास्को, रूसी संघ द्वारा किया गया था। टी बोर्ड इंडिया ने 11 से 15 फरवरी, 2019 तक आयोजित प्रोडेक्सपो 2019 में प्रमुख चार निर्यातकों के साथ भारतीय चाय पवेलियन के 66 वर्गमीटर के स्थान के साथ भाग लिया था । उपरोक्त निर्यातकों में से प्रत्येक को प्रदर्शनी की चाय व कॉफी के पवेलियन 8 हॉल 3 में स्थित भारतीय चाय पवेलियन में शेल स्कीम के तहत 12 वर्ग मीटर स्थान से निर्मित स्टाल मुहैया कराया गया था, जबकि टी बोर्ड इंडिया ने 18 वर्ग मीटर का स्थान लिया था । टी बोर्ड के स्टॉल को दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, सिक्किम, कांगड़ा, मसाला चाय और योग चाय के पोस्टर (रूसी भाषा में) से सजाया गया था। स्टॉल पर इन चायों की अलग-अलग कैडियों को भी प्रदर्शित किया गया था । भारतीय चाय की विविधता के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए रूसी भाषा में विवरण पुस्तिका को एक उपयोगी संदर्भ के रूप में वितरित किया गया था। टी बोर्ड भारत के पवेलियन में एलईडी टीवी पर भारतीय चाय के बारे में लघु फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। निर्यातकों ने प्रदर्शनी में विभिन्न प्रकार की भारतीय चायों का प्रदर्शन किया। अच्छी गुणवत्ता वाले असम के ओर्थोडोक्स चाय, जिसकी रूस में हमेशा उच्च मांग रहती है, के अलावा, निर्यातकों ने अन्य चायों जैसे कि उच्च गुणवत्ता वाले दार्जिलिंग चाय, ग्रीन टी, असम चाय, मसाला चाय,मूल्य वर्धित चाय,फ्लेवर चाय,सीटीसी चाय आदि का प्रदर्शन किया जिसने लोगों को लुभाया तथा क्रेताओं से अनेक पूछताछ भी की गयी ।

आयोजन के दूसरे दिन, टी बोर्ड के स्टाल और पूरे चाय पवेलियन का दौरा शिष्टमण्डल के उप प्रमुख, प्रथम सचिव एवं दूसरे सचिव, भारतीय दूतावास, मॉस्को द्वारा किया गया था । अधिकारियों ने भारतीय निर्यातकों के साथ बातचीत की एवं रूस में भारतीय चाय के भविष्य के बाजार परिदृश्य पर पूछताछ की, जिसमें भारतीय निर्यातक रूसी खरीदारों की बढ़ती मांग के अनुसार ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं तथा रूस में भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए सभी प्रकार के संभावित समर्थन देने हेतु सुनिश्चित किया था हैं। । उन्होंने भारतीय चाय निर्यातकों को गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने और रूस में उच्च मूल्य वाली चाय को निर्यात करने की सलाह दी क्योंकि ग्राहक की एक बड़ी संख्या भारत से उच्च मूल्य वाली आला दर्जे की चाय एवं जैविक चाय खरीदने में रुचि रखेंगे।

प्रदर्शनी के सभी पाँच दिन टी बोर्ड और निर्यातक दोनों द्वारा चाय आस्वादान (टी टेस्टिंग) एवं नमूने प्रदर्शन के सत्र आयोजित किए गए थे। भारतीय चाय पवेलियन पर सभी पाँच दिन लगातार आगंतुकों का तांता लगा रहा और सभी दिन बूथ पर महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएँ दर्ज की गईं जिसमें टी बोर्ड भारत का भी बूथ शामिल था।

6. 13 से 16 फरवरी 2019 के दौरान आयोजित "बायो फैच, नूरेमबर्ग", जर्मनी में भागीदारी: बायोफैक जैविक खाद्य के लिए एक प्रमुख व्यापार मेला है, जहां खाद्य, पेय और पेय उद्योग के निर्माता, वितरक और खरीदार जानकारी साझा करने के लिए मिलते हैं और साझेदारी के एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क की नींव रखने हेतु कई इन क्षेत्रों के प्रभावशाली पेशेवर के साथ व्यापार करते हैं । इस महत्वपूर्ण व्यापार मेले में टी बोर्ड ने भारतीय जैविक चाय के निर्यातकों के साथ भारतीय जैविक चाय की दृश्यता बनाए रखने एवं संवर्धन हेतु भाग लिया था। टी बोर्ड की भागीदारी के कारण आगुन्तुकों के द्वारा भारतीय चायों विशेषकर दार्जिलिंग चाय के लिए अनेकों पूछताछ की गयी। बायोफैक पर केंद्रित रुझान मुख्यतः सुविधा, विशेष खाद्द पदार्थ, नारियल का सुपर स्वाद, सुपर खाद्द पदार्थ आदि पर हैं।

इंडिया टी पवेलियन हॉल संख्या - 5 के समकक्ष स्थान पर बना हुआ था। टी बोर्ड इंडिया और भाग लेने वाली कंपनियों के चमकीले प्रचार पोस्टरों की सहायता से इसे सजाया गया था । दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, और सिक्किम चाय सभी ऑर्गेनिक) जैसे गुणवत्ता वाले क्षेत्र चाय के ओर्थोडोक्स क़िस्मों वाले नमूने प्रदर्शित किए गए थे , जिसने सभी चार दिनों के दौरान पर्यटकों की काफी संख्या को आकर्षित किया था । जर्मन चाय एसोसिएशन के महासचिव श्री मैक्सिमिलियन विटिग ने टी बोर्ड के स्टाल का दौरा किया और भारतीय चाय निर्यातक के साथ चर्चा की ।

7. **17 से 21 फरवरी , 2019 के दौरान आयोजित गल्फ फूड , दुबई में भागीदारी :** एक सुव्यवस्थित और प्रतिष्ठित व्यापार प्रदर्शनी आसानी से प्रचार के प्रभावी साधनों के लिए एक त्वरित मंच प्रदान करती है और क्रेताओं और विक्रेताओं के बीच दो-तरफ़ा संचार भी करती है । दुबई में गल्फ फूड के साथ, संयुक्त अरब आमिरशाही ने मध्य-पूर्व और यूरोप के सभी महत्वपूर्ण खरीदारों के लिए एक प्रमुख संगम की स्थापना की है एवं 2018 में समान रूप से इसकी भागीदारी ने विक्रेता-खरीदार की बातचीत को फलदायी रूप से प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुई ।
टी बोर्ड ने तेरह (13) निर्यातकों के साथ भारतीय चाय की दृश्यता को बनाए रखने और संवर्धन के लिए इस प्रसिद्ध मेले में भाग लिया था। इन भाग लेने वाले निर्यातकों ने व्यापारी निर्यातक,

निर्माता निर्यातक, मूल्य वर्धित निर्यातक, उद्यमी, पहली बार भाग लेने वाले और जैविक निर्यातक को शामिल करते हुए चाय उद्योग के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया, जिनका चयन इस उद्देश्य के लिए गठित समिति द्वारा मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार हुआ था । टी बोर्ड भारत का प्रतिनिधित्व कार्यकारी निदेशक द्वारा किया गया था। टी बोर्ड इंडिया द्वारा निर्मित स्टैंड का निर्माण उपयुक्त फर्नीचर और सहायक उपकरण की सहायता से किया गया था एवं उचित रोशनी की भी व्यवस्था की गई थी। जा'बिल हाल संख्या - 5 के समकक्ष ज़ेड-5 स्थान पर निर्मित टी बोर्ड भारत के स्टाल ने काफ़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित किया। भारतीय चाय की भौगोलिक समृद्धि की सराहना करने के उद्देश्य से दार्जिलिंग, नीलगिरी ऑर्थोडॉक्स और असम ऑर्थोडॉक्स से आसानी से तैयार गर्म चाय को काउंटरों पर परोसा गया था । दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, कांगड़ा, डुआर्स-तराई और सिक्किम से एकल क्षेत्र चाय की विशेषताओं को समझाते हुए टी बोर्ड भारत के बूथ की दीवारों को पोस्टरों से सजाया गया था। टी बोर्ड के स्टाल ने पोस्टरों के विस्तृत श्रेणी के साथ-साथ कंपनी स्क्रॉल-अप जो भारतीय चाय के विभिन्न पहलुओं - इसके विस्तृत और विशाल चाय सम्पदा, शानदार लोगो, जीवंत कार्यबल एवं उत्फुल्ल उत्पाद श्रेणी को प्रदर्शित करते थे, पूरे बूथ में प्रदर्शन के लिए पर्याप्त थे। दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि, सिक्किम और कांगड़ा जैसी गुणवत्ता युक्त चाय के नमूनों से प्रदर्शन किया गया। इन पाँच दिनों के दौरान टी बोर्ड के स्टॉल में बड़ी संख्या में आगंतुकों का आगमन किया। उत्तम किस्म की चाय का स्वाद लेने के लिए लोगों की होड़ लगी थी । बड़ी संख्या में व्यवसायिक लोग आपूर्ति के लिए आए थे और वे व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे ।

टी बोर्ड भारत के पवेलियन में आने वाले आगंतुकों में संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत और भारत के महावाणिज्य दूत विशिष्ट आगंतुक के रूप में शामिल थे। उन्होंने भारतीय निर्यातकों के साथ बातचीत की और भारत के चाय निर्यात के बारे में प्रतिक्रिया प्राप्त की।

चूंकि, पिछले कई वर्षों के दौरान भारत से संयुक्त अरब अमीरात के लिए निर्यात में लगातार वृद्धि हुई है, बोर्ड को इस महत्वपूर्ण मेले की भागीदारी के अलावा संवर्धन गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए क्योंकि इस बाजार में आने वाले समय में और निर्यात की गुंजाइश है।

8. 5 मार्च से 8 मार्च, 2019 के दौरान आयोजित "फुडेक्स जापान" में भागीदारी: टी बोर्ड भारत ने 09 (नौ) निर्यातकों के साथ 5 से 8 मार्च, 2019 के दौरान आयोजित 44 वें अंतर्राष्ट्रीय खाद्द और पेय प्रदर्शनी, फुडेक्स, माकुहारीमेसी, चिबा, जापान में भाग लिया । **फूडेक्स** सबसे महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खाद्द और पेय प्रदर्शनियों में से एक है। यह एशिया की सबसे बड़ी प्रदर्शनी है जो जापान और पूरी दुनिया के खाने-पीने की नवीनतम जानकारी को प्रचार-प्रसार हेतु समर्पित है ।

यह इस प्रदर्शनी का 44वीं वर्षगांठ थी और इसमें कुल 80,426 पंजीकृत आगंतुकों ने भाग लिया था । यह 90 वर्ग मीटर जगह पर बने एक भारतीय चाय पवेलियन के नौ (9) निर्यातकों का एक प्रभावशाली भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल था । टोक्यो में भारत के राजदूत और पहले सचिव (व्यापार), भारत के दूतावास ने भारत के पवेलियन का दौरा किया और निर्यातकों के साथ बातचीत की और उनसे जापान में अपने निर्यात संवर्धन के लिए दूतावास से हर संभव मदद का वादा किया । जापान टी एसोसिएशन के वरिष्ठ प्रबंध निदेशक, श्री एस. योनेकावा अपनी टीम के साथ टी बोर्ड ऑफ इंडिया के पवेलियन में एक बैठक के लिए आए थे और जापान टी संघ द्वारा भारतीय चाय पर एक पृथक चाय सेमिनार आयोजित करने के लिए उपाध्यक्ष, टी बोर्ड के साथ चर्चा की गई ।

(बी) व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों का दौरा

1. 23 **से** 24 **अगस्त**, 2018 **के दौरान कजाकिस्तान के लिए व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा**: मंत्रालय की मंजूरी के अनुसार, कजाकिस्तान के संभावित बाजार के लिए एक पूर्ण व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग और कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास के निकट सहयोग से 23-24 अगस्त, 2018 के दौरान दौरा किया।

अंतिम रूप से चुने गए प्रतिनिधियों की सूची में उद्योग के बीस (20) सदस्य शामिल थे जिनमें दो लघु चाय उत्पादकों के प्रतिनिधि और एक भारतीय चाय संघ (ITA) के एक प्रतिनिधि शामिल थे ।

एक क्रेता-विक्रेता बैठक आयोजन को सुविधाजनक बनाने हेतु और भारत के विविध चाय उगाने वाले क्षेत्रों और उनकी किस्मों के सामान्य प्रचार-प्रसार / आस्वादन के सत्रों का संचालन करने के लिए प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपाध्यक्ष , टी बोर्ड भारत ने किया था। । पूरी तैयारी के साथ शामिल इस पूरे कार्यक्रम में "भारतीय चाय संगोष्ठी", "क्रेता-विक्रेता बैठक बीएसएम)" पर ज़ोर दिया गया और कजाकिस्तान में भारतीय दूतावास और रूस्तिया कॉफ़ी संघ के सहयोग से आयोजित होने वाले चाय आस्वादन सत्र और चाय युग्मन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था ।

प्रथम प्रदर्शनी के रूप में चाय युग्मन एवं चाय आस्वादन प्रतियोगिता से संबंधित "द इंटरनेशनल टी मास्टर्स कप, कजाखस्तान" कार्यक्रम 23 अगस्त 2018 की सुबह रूस्तिया कॉफी एसोसिएशन के माध्यम से कजाख उपभोक्ता जो विभिन्न किस्मों की भारतीय चाय को बहुत पसंद करते हैं, को लक्ष्य करके विशिष्ट भारतीय चाय प्रदर्शित करने के लिए आयोजित की गई थी। टी मास्टर्स कप के लिए उपयोग की जाने वाली चाय में सीटीसी, ओर्थोडॉक्स और दार्जिलिंग चाय के साथ विभिन्न ग्रेड की अन्य भारतीय चाय शामिल थी। प्रतिभागी होरेका उद्योग से थे, जिन्होंने फलों और मसालों के साथ मूल चाय को मिश्रित करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मकता

और उत्साह का प्रदर्शन किया और उन्हें खाद्द युग्मों के साथ प्रस्तुत किया। इसका मूल उद्देश्य "इंडिया" चाय के छवि के बारे में बड़े पैमाने पर उपभोग की वस्तु से प्रीमियम उपभोग की श्रेणी में जागरूकता पैदा करने, गहरी भावनात्मक लगाव एवं अंततः उपभोक्ताओं के मन में मजबूत ब्रांड वाली प्रवृत्ति का विकास जिससे उपभोक्ताओं के मन में "इंडिया टी" के बारे में एक मजबूत ब्रांड वाली हिस्सेदारी का विकास होता है । बृहद् नीलामीकार मेसर्स जे. थॉमस एंड कंपनी. को एक प्रभावी और केंद्रित तरीके से इंडिया टी के प्रचार के लिए चाय आस्वादन के सत्रों के आयोजन और समन्वय के लिए टी बोर्ड की ओर से प्रमुख उद्योग संसाधन के रूप में कार्य करने हेतु राजी कराया गया था । वह प्रतियोगिता के लिए न्यायाधीशों के पैनल में थे। इसका अनुसरण आमंत्रितों के साथ चाय आस्वादन सत्र से किया गया एवं भारतीय चाय का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी चाय श्रेणियों एवं क़िस्मों को शामिल करते हुए ग्रीन टी, असम, दार्जिलिंग, और नीलगिरि ओर्थोडॉक्स एवं सीटीसी चायों की एक पूरी श्रृंखला, जिसका कजाकिस्तान में थोक में आयात किया जाता है, का परिचय कराया गया एवं प्रस्तुत किया गया । इस सत्र में संभावित क्रेताओं में काफी रुचि पैदा हुई, जिन्होंने न केवल अपनी पारंपरिक सीटीसी श्रेणी पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि ओर्थोडॉक्स किस्म के चायों पर भी ध्यान केंद्रित किया।

"इंटरनेशनल टी मास्टर्स कप, कजाखस्तान" के बाद कजाकिस्तान में भारतीय राजदूत द्वारा "भारत चाय सम्मेलन" का उद्घाटन किया गया। उपाध्यक्ष , टी बोर्ड एवं भारतीय चाय संघ के उपाध्यक्ष (आईटीए) ने कजाकिस्तान के बाजारों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त भारतीय चाय की गुणवत्ता और बारीकियों पर प्रकाश डाला। अपने संबोधन में, जनरल डायरेक्टर, रूसटी कॉफ़ी एसोसिएशन , जो रूस के कृषि मंत्रालय के स्कन्ध के तहत रूस में चाय और कॉफी उत्पादकों का सबसे बड़ा संघ है , रूस, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान आदि के सीआईएस देशों में सबसे प्रभावशाली समूह के रूप में कार्य कर रहा है । इसने हाल ही में केन्याई चाय द्वारा दी गई कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण कजाकिस्तान के बाजार में भारतीय चाय को प्रवेश कराने के लिए "भारतीय चाय" की अंतर्निहित क्षमता का लाभ उठाने के लिए रणनीति बनाने पर ज़ोर दिया था ।

"भारतीय चाय संगोष्ठी" के तुरंत बाद सुगठित क्रेता-विक्रेता की बैठक हुई जिसमें भारत के प्रत्येक अलग-अलग निर्यातक को आयात करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ एक-एक के आधार पर गहन बातचीत करने का अवसर मिला। कुल अठारह (18) क्रेताओं ने संरचित बीएसएम में भाग लिया और कुछ उपस्थित निर्यातकों ने इस बैठक के परिणाम के रूप में दुरुस्त व्यापार व्यवहार को लागू लागू करने की पुष्टि की । चाय आस्वादन (टी टेस्टिंग) सत्र के बाद "चाय युग्म प्रतियोगिता " के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

24 अगस्त 2018 की सुबह कजाकिस्तान के चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ पहली बैठक हुई जहां ब्रांडेड भारतीय चाय पर आयात शुल्क के युक्तिकरण, उपयुक्त भंडारण और चाय केंद्र होने की संभावनाओं के संबंध में उपयोगी विचार-विमर्श और विचारों का आदान-प्रदान हुआ । इसके बाद अल्माटी के बाहरी इलाके में "यूनिवर्सल टी फैक्ट्री" नामक एक चाय पैकेजिंग फैक्ट्री का दौरा किया गया। शाम को एक प्रमुख मॉल में दो घंटे से अधिक समय के दौरान भारतीय चायों की प्रदर्शनी एवं उपभोक्ताओं के लिए स्फूर्तिदायक आस्वादन सत्र संचालित किया गया। इस प्रयास को एक बड़ी सफलता मिली जिसके परिणामस्वरूप आगंतुकों का निरंतर तांता लगा रहा, लोगों ने विभिन्न प्रकार की चाय के बारे में पूछताछ की, मेहमानों को तर तरह की चाय का स्वाद चखाया गया एवं मजे की बात यह हैं कि इस प्रदर्शनी में लायी गई चाय के क्रय हेतु निरंतर ग्राहकों द्वारा जानकारियाँ एकत्रित की गईं। 8 और 14 वर्ष के बच्चों के समूहों द्वारा भारतीय चाय के बारे में दिखाई गई उत्सुकता और जिज्ञासा पर एक भिन्न अनुभव एवं सुखद आश्चर्य था।

2. 18 से 21 सितंबर, 2018 के दौरान रूस में व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा : उद्योग और रूस में भारतीय दूतावास के निकट सहयोग से एक पूर्ण व्यापार प्रतिनिधिमंडल 18 से 21 सितंबर, 2018 के दौरान रूस के संभावित बाजार का दौरा किया था । प्रतिनिधियों की सूची में उद्योग के तेईस (23) सदस्य और भारतीय चाय संघ (ITA) के एक प्रतिनिधि शामिल थे। यह दौरा "वर्ल्ड फूड मॉस्को" प्रदर्शनी के साथ ही हुआ जिसमें टी बोर्ड के पवेलियन में दस (10) भारतीय प्रदर्शकों ने भाग लिया।

18 सितंबर को प्रतिनिधियों ने "वर्ल्ड फूड मॉस्को" व्यापार मेले का दौरा किया एवं क्रेताओं की और बड़ी संख्या में क्रेताओं से बातचीत की। दो सबसे बड़े रूसी चाय आयातकों यथा - ओरिमी ट्रेड एवं मे कोंपन्या के साथ बैठकों सहित विभिन्न व्यावसायिक बैठकों तथा 19 सितंबर, 2018 को क्रेता-विक्रेता के मिलन कार्यक्रम सह संवादमूलक सत्र को सुगम बनाने हेतु इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व टी बोर्ड उपाध्यक्ष के द्वारा किया गया था । पूरे कार्यक्रम को "क्रेता-विक्रेता मिलन (बीएसएम") के साथ -साथ "भारतीय चाय सम्मेलन" में अच्छी भागीदारी के साथ प्रसारित किया गया, रुस्तचेफ़ी एसोसिएशन द्वारा समवर्ती चाय आस्वादन सत्र एवं रूसी सीमा शुल्क, दो रूसी बैंक - स्वेर बैंक एवं अल्फा बैंक, दो सबसे बड़े आयातक - ओरिमी ट्रेड एवं मे टी के साथ बैठकों का कई दौर चला, रूस में भारतीय दूतावास के सहयोग से भारतीय राजदूत एवं प्रतिनिधिमंडल के उप-प्रधान के साथ अनेक बैठकें हुई।

3. 24 से 25 अक्टूबर, 2018 के दौरान बीजिंग में चाय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का दौरा : इस आयोजन के साथ, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड एवं कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड सहित 30 चाय निर्यातकों से गठित एक प्रतिनिधिमण्डल ने दौरा किया । चीन के ग्वांगझाऊ के महावाणिज्य दूतावास के सक्रिय समर्थन से 21 अक्टूबर, 2018 को जियामेन, चीन में एक चाय आस्वादन कार्यक्रम के

साथ-साथ भारतीय चाय संवर्धन संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। कॉन्सल (राजनीतिक और वाणिज्यिक),काफ़ी समर्थन मिला एवं उनहोंने क्रेता-विक्रेता सहभागिता और चाय संगोष्ठी की तैयारियों को गति दी । 24 और 25 अक्टूबर को बीजिंग में भारतीय दूतावास के सक्रिय समर्थन से भारतीय चाय संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहले सचिव, (आर्थिक व वाणिज्य/ई एंड सी), बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने इस आयोजन को सार्थक बनाने के लिए विशेष प्रयास किया ।

(सी) अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलाप

1. मॉस्को, रूस में "वार्षिक ग्रीष्मकालीन बाजार" : मास्को में भारत का दूतावास "इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन (आईडबल्यूए)" के सक्रिय सहयोग से हर साल मिशन परिसर में महत्वपूर्ण क्रेता, विदेशी मेहमान और विभिन्न मिशनों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए प्रतिष्ठित दर्शकों के मध्य भारतीय खाद्द और पेय पदार्थों का प्रदर्शन करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करता रहा है । 2 जून, 2018 को भारतीय चाय के प्रचार-प्रसार हेतु टी बोर्ड भारत की मुख्य रूप से भागीदारी का आयोजन किया गया था। इन कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में क्रेताओं ने भाग लिया जहां विभिन्न प्रकार की भारतीय चाय जैसे - दार्जिलिंग, असम, नीलगिरि के नमूनों का प्रदर्शन किया गया तथा चाय के आस्वादन (टी टेस्टिंग) सत्र आयोजित किए गए। नि:शुल्क चाय के नमूनों के वितरण के साथ-साथ तरल चाय के नमूने का भी प्रदर्शन इस अवसर पर किया गया था । आने वाले दर्शकों की संख्या ने 8000 का रिकॉर्ड आंकड़ा छू लिया । लगातार आने वाले दर्शकों ने टी बोर्ड भारत की भागीदारी की बहुत सराहना की।

2. रूस में चाय संवर्धन : नेशनल रिसर्च यूनिवर्सिटी, हायर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एचएसई) और भारत के दूतावास, मास्को ने मुख्य रूप से भारत पर विशेष ध्यान देते हुए आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए एचएसई में भारतीय अध्ययन के लिए एक अलग और समर्पित कार्यक्रम शुरू करने के उद्देश्य से 19 मार्च, 2019 को 'इंडिया कॉर्नर' लॉन्च किया। । रूसी संघ में भारत के राजदूत और एचएसई के प्राचार्य ने संयुक्त रूप से विभिन्न रूसी मंत्रालयों, एचएसई, थिंक-टैंकों, अर्थशास्त्रियों, शिक्षाविदों, सिंद्धांतकार, व्यवसायिक-संगठनों और मीडिया-जगत के प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में कॉर्नर का उद्‌घाटन किया। टी बोर्ड इंडिया, मास्को ने 'इंडिया कॉर्नर' के उद्‌घाटन समारोह में एक चाय संवर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया। भारतीय काली खुली (लूज) चाय की पांच (5) किस्मों यथा- दार्जिलिंग, सिक्किम, नीलगिरि, असम ऑर्थोडॉक्स और असम सीटीसी को इस कार्यक्रम में परोसा गया। टी बोर्ड भारत के स्टॉल ने चाय के संवर्धन समारोह में आए कई आगंतुकों को अपनी ओर आकर्षित किया साथ ही भारतीय चाय को पूरे रूस से आए हुए व्यापक जनता के सामने प्रदर्शित किया गया ।

ASSAM ORTHODOX
ASSAM CTC
NILGIRI CTC
NILGIRI ORTHODOX
The Best Indian Tea Award

SEMINAR CUM BUYER SELLER MEET
ON TEA MARKETING

29 जून-2 जुलाई, 2018, तेहरान में ईरान एग्रो 2018 में टी बोर्ड की प्रतिभागिता

27-29 जुलाई, 2018, नई दिल्ली में फुड एंड टेक्नोलॉजी एक्सपो में टी बोर्ड भारत का पैवेलियन

TEA BOARD INDIA
E72
CELEBRATE LIFE WITH INDIAN TEA AND YOGA
Nilgiri
Select India Tea
India Tea

Incredible India

अल्माटी, क़ज़ाकिस्तान में 23-25 अगस्त, 2018 को भारतीय चाय प्रतिनिधिमंडल का दौरा क्रेता-विक्रेता बैठक को

श्री ए. के. राय, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड द्वारा 23 अगस्त, 2018 को अल्माटी, क़ज़ाकिस्तान में भारतीय चाय पर प्रस्तुति

23-25 अगस्त, 2018 को चेन्नई में आयोजित फूड एंड हॉस्पिटालिटी फेयर में टी बोर्ड

17-20 सितम्बर, 2018 को वर्ल्ड फूड मॉस्को में टी बोर्ड इंडिया का पैवेलियन

19.09.2018, मॉस्को में क्रेता-विक्रेता बैठक को सम्बोधित करते श्री ए.के.राय, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड

18-22 अक्टूबर, 2018 को चीन ज़ीयामेन अर्न्तराष्ट्रीय चाय उद्योग मेलेमें इंडिया टी का पैवेलियन

21.10.2018 को ज़ीयामेन, चीन में आयोजित भारतीय चाय संवर्धन संगोष्ठी

12-15 नवम्बर, 2018 फुडेक्स सऊदी में टी बोर्ड का पैवेलियन

14-15 जनवरी, 2019 को आयोजित इंडस फुड 2019 में टी बोर्ड इंडिया का पवेलियन

गोआ अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट में 28.01.2019 को प्रथम भौगोलिक संकेतक स्टोर के उद्घाटन के अवसर पर श्री सुरेश प्रभु, माननीय वाणिज्य व उद्योग तथा नागर विमानन मंत्री

18.02.2019 में गल्फ फुड दुबई में टी बोर्ड भारत के पवेलियन में एच.ई. श्री नवदीपसूरी, युएई में भारतीय दूत

5 से 8 मार्च , 2019 फुडेक्स जापान में भारतीय चाय निर्यातकों के साथ श्री ए.के.राय, उपाध्यक्ष, टी बोर्ड, भारत

अध्याय- 7

अनुज्ञापन

परिचय :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले विविध सांविधिक एवं विनियमन आदेशों के क्रियान्वयन हेतु अनुज्ञापन (लाइसेन्स) शाखा बोर्ड का एक महत्वपूर्ण विभाग है। अनुज्ञापन शाखा विविध अनुज्ञापन संबंधी कार्यकलाप संचालित करता है जिसमें हितधारकों को चाय व्यापार करने हेतु विविध अनुज्ञापन जारी करने के साथ-साथ अन्य कार्यकलापों जैसे-विनियमन नीतियों का निर्माण, विद्दमान नियंत्रण आदेश में संशोधन, अनुज्ञापन जारी करने हेतु दिशा-निर्देशों की तैयारी, हितधारकों के विभिन्न कार्यकलापों की निगरानी तथा विनियमन हेतु केंद्र सरकार तथा टी बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये जाने वाले विभिन्न निर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिशित करना शामिल है। यह विभाग नीलामी प्रक्रिया, आयात व निर्यात इत्यादि की निगरानी हेतु भी उत्तरदायी है जो चाय व्यापार में महत्वपूर्ण होता है ।

विनियामक प्रावधान

चाय अधिनियम के धारा 30 के उपधारा (3) एवं (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित सांविधिक प्रावधानें केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित की गयी थी, जो सम्पूर्ण अनुज्ञापन एवं विनियामक गतिविधियों को संचालित करती है :-

1. **चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश , 2003**
2. **चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश ,2005**
3. **चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश,1959**
4. **चाय भंडार (लाइसेन्स) आदेश, 1989**

बोर्ड जोरहाट जिले के लिए एक ऑनलाइन नीलामी मंच की स्थापन की प्रक्रिया में है साथ ही कुछ मूल्य वर्द्धक सेवा जैसे टेस्टिंग, लॉजिस्टीक्स आदि रहेंगी जो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है।

ऑनलाइन अनुज्ञापन प्रणाली की शुरूआत :

बोर्ड ने अप्रैल, 2018 से ऑनलाइन अनुज्ञापन प्रणाली की शुरूआत की है जिससे विभिन्न नियंत्रण आदेशों के तहत सभी प्रकार के अनुज्ञापन अनुप्रयोगों को जारी तथा नवीकरण किया जा सके । इस ऑनलाईन अनुज्ञापन प्रणाली ने वर्तमान अनुज्ञापन आवेदन जमा की मैनुअल प्रक्रिया को प्रतिस्थापित किया है जिससे पारदर्शी ऑनलाइन प्रक्रिया, समय पर आवेदन का निपटान, ऑनलाइन स्टेटस ट्रैकिंग आदि संभव हो सका है ।

जारी अनुज्ञापनों का विवरण :

वित्तीय वर्ष 2018-19 हेतु देश में जारी अनुज्ञापनों की संख्या साथ ही संग्रहीत राजस्व की मात्रा तालिकाबद्ध रूप में निम्नवत है :-

क्र. सं.	नियंत्रण आदेश	अनुज्ञापन पंजीकरण की प्रकृति	अनुज्ञापन की संख्या/पंजीकरण/ जारी प्रमाणपत्र	कुल राजस्व संग्रहीत रु. में)
1	चाय विपणन (नियंत्रण) आदेश, 2003	विनिर्माण इकाईयों को अनापत्ति प्रमाणपत्र	45	………
		विनिर्माण इकाईयों का पंजीकरण	45	14,05,000/-
		क्रेता का पंजीकरण	208	13,19,500/-
		ब्रोकर लाइसेन्स	23	13,56,000/-
		नीलामी आयोजक अनुज्ञापन	7	8,75,000/-
		लघु चाय कारखानों को प्रमाणपत्र	18	18,000/-
2	चाय वितरण (नियंत्रण) आदेश, 2005	निर्यातक अनुज्ञापन	385 (329 नए एवं 56 नवीकरण)	3,85,000 (3,29,000 नए एवं 56,000 नवीकरण)
		वितरक अनुज्ञापन	20	50,000
3	चाय अपशिष्ट (नियंत्रण) आदेश, 1959	चाय अपशिष्ट अनुज्ञापन	1257 (255 नए एवं 1002 नवीकरण)	75,600/- (25,500/- नए एवं 50,100/- नवीकरण)
4	चाय भंडार अनुज्ञापन आदेश, 1989	चाय भंडार अनुज्ञापन	206 (82 नए एवं 124 नवीकरण)	16,49,800/- (7,97,000/- नए एवं 8,52,800/- नवीकरण)
5	चाय अधिनियम , 1953	रोपण परमिट, विस्तार/ प्रतिस्थापन रोपण परमिट	22	---

6	जीएसआर 694 (ई) दिनांक 11.10.99 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय,भारत	फ्लेवर चाय विनिर्माता का पंजीकरण	50	13,71,000/-
7	विदेश व्यापार नीति, भारत सरकार	पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी)	38 (28 नए एवं 10 नवीकरण)	2,12,800/- (1,56,800/- नए एवं 56,000/-
8	चाय अधिनियम	पंजीकृत संपदाओं के स्वामित्व परिवर्तन की रिकॉर्डिंग	40	14,92,500/-
		पंजीकृत कारखानों के स्वामित्व परिवर्तन की रिकॉर्डिंग	62	59,20,000/-
9	चाय अधिनियम	बागान पंजीकरण	2 सं. सहित 144.92 हे.	---
		कुल	**2428**	**1,61,30,200/-**

विनियामक प्रावधानों का संशोधन

विद्यमान मानकों के सरलीकरण, राजस्व अर्जन इत्यादि को सुनिश्चित करने हेतु 2018-19 में निम्नलिखित महत्वपूर्ण संशोधन किए गए :

- चाय भंडार अनुज्ञापन) आदेश , 1989 के तहत चाय भंडार अनुज्ञापन की नवीनीकरण अवधि में 1 से 3 वर्ष की वृद्धि ।

  विनिर्माताओं को जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र तथा पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को बंद किया गया एवं इस प्रक्रिया को एक कर दिया गया,केवल पंजीकरण प्रमाणपत्र ही विनिर्माताओं को उत्पादन के साथ ही इकाईयों की व्यवहार्यता के बाद व्यवसायिक विनिर्माण हेतु जारी किया जाएगा ।

ई - नीलामी स्थिति:-

I. **अखिल भारतीय मॉड्यूल के तहत ई-नीलामी** :

II. चाय नीलामी प्रतियोगितात्मक रूप से वृहत स्तर के क्रेताओं तक अपने उत्पाद के विपणन का एक जरिया है, ताकि सही मूल्य प्राप्त किया जा सके। सार्वजनिक चाय नीलामी ने कोलकाता में 1861 में प्रथम चाय नीलामी केंद्र के रूप में स्थापित होने के पश्चात् एक दशक से चाय के

प्राथमिक विपणन हेतु मुख्य वाहक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । सार्वजनिक चाय नीलामी में केवल बल्क पैकेज के खुली (लूज़) चाय की नीलामी की जाती है । चाय नीलामी से जुड़े हितधारकों में नीलामी आयोजक, 'निर्मित चाय' के उत्पादक (विक्रेता), नीलामीकर्ता / ब्रोकर, क्रेता एवं गोदाम हैं। ये सभी टी बोर्ड के पंजीकृत हितधारक होते हैं ।

देश में कुल 6 पंजीकृत नीलामी केंद्र हैं,जैसे - कोलकाता, सिलिगुड़ी,गुवाहाटी,कुनूर,कोचीन एवं कोयम्बटूर, जहाँ नीलामी प्रक्रिया अखिल भारतीय ई-नीलामी तंत्र के तहत टी बोर्ड द्वारा मुहैया कराए गए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म द्वारा संचालित किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अखिल भारतीय मॉड्यूल के तहत ई-नीलामी के माध्यम से क्रय एवं विक्रय किए गए चाय की मात्रा निम्नलिखित है :

नीलामी केंद्र	अप्रैल 2017 से मार्च 2018		अप्रैल 2018 से मार्च 2019	
	परिमाण(मिलियन कि.ग्रा.)	कीमत (रु/कि.ग्रा.)	परिमाण(मिलियन कि.ग्रा.)	कीमत (रु/कि.ग्रा.)
कोलकाता लीफ	116.72	161.63	124.17	167.68
कोलकाता डस्ट	38.82	160.22	42.52	160.94
कुल कोलकाता	**155.54**	**161.28**	**166.69**	**165.97**
गुवाहाटी लीफ	115.24	137.13	113.56	144.73
गुवाहाटी डस्ट	46.71	153.11	50.82	156.62
कुल गुवाहाटी	**161.95**	**141.74**	**164.39**	**148.41**
सिलिगुड़ी लीफ	120.33	126.63	119.04	138.91
सिलिगुड़ी डस्ट	15.21	129.46	14.97	136.98
कुल सिलिगुड़ी	**135.54**	**126.95**	**134.00**	**138.69**
कोचीन लीफ़	8.78	128.31	8.31	137.43
कोचीन डस्ट	40.51	114.25	41.35	122.18
कुल कोचीन	**49.29**	**116.75**	**49.67**	**124.73**
कुन्नूर लीफ़	41.77	79.08	42.32	89.69
कुन्नूर डस्ट	20.49	87.04	22.38	96.09
कुल कुन्नूर	**62.26**	**81.70**	**64.70**	**91.91**
कोयंबटूर लीफ़	4.65	85.51	3.98	96.87
कोयंबटूर डस्ट	9.95	95.28	9.90	105.13
कुल कोयंबटूर	**14.60**	**92.17**	**13.88**	**102.76**
समग्र कुल	**579.17**	**133.69**	**593.33**	**141.94**

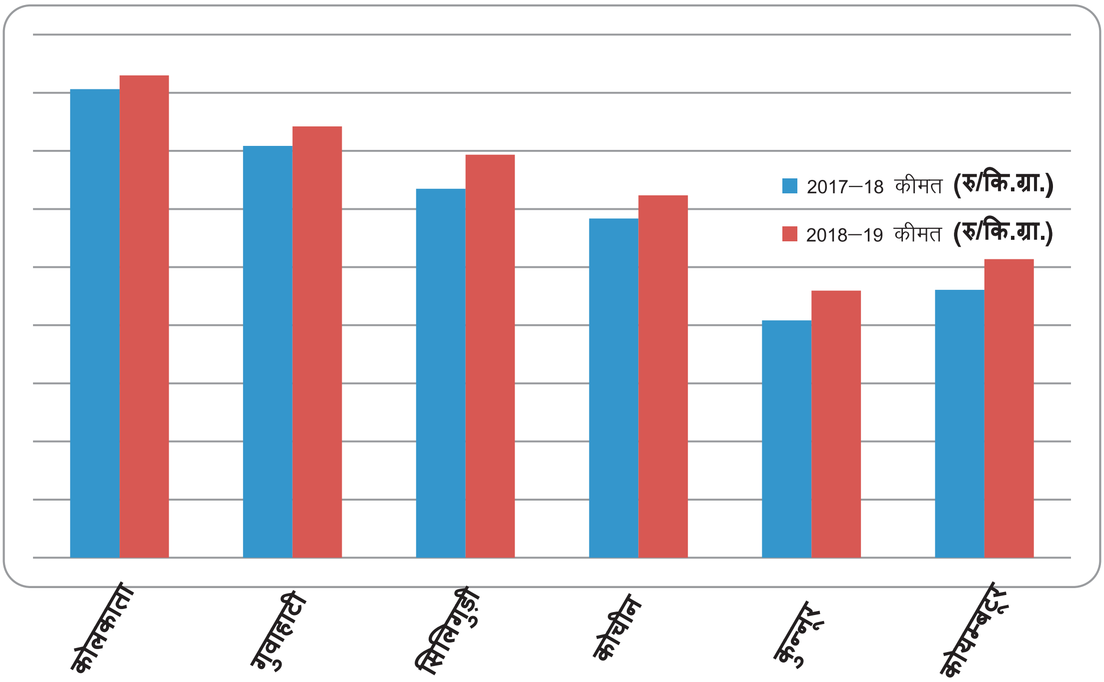

ii. पोस्ट सेटलमेंट मॉड्यूल का कार्यान्वयन:

पोस्ट नीलामी सेटेलमेंट मॉड्यूल का कार्यान्वयन फरवरी से मार्च, 2018 में 3 नीलामी केन्द्रों में किया गया था । परन्तु, कोलकाता, गुवाहाटी एवं कोचीन नीलामी केन्द्रों में इसका कार्यान्वयन अप्रैल, 2018 में किया गया । ई-नीलामी के माध्यम से हितधारकों को पोस्ट सेटलमेंट का फायदा दिलाने हेतु बोर्ड ने आईसीआईसीआई बैंक के साथ साझेदारी भी की । इस प्रणाली के कुछ महत्वपूर्ण फायदे नीचे दर्शाए गए हैं :

- क्रेताओं से भुगतान प्राप्त होने के एक दिन के भीतर विक्रेताओं, ब्रोकरों और गोदामों के भुगतान का तुरंत निपटान .
- क्रेताओं द्वारा चालान एवं सुपुर्दगी आदेश का ऑनलाइन रसीद, जिससे इस पूरे प्रक्रिया में समय की बचत होती है ।
- भुगतान के वास्तविक दिन निर्दिष्ट समय पर आरटीजीएस / एनईएफटी पर कम निर्भरता के साथ क्रेता हेतु उपयोगकर्ता के अनुकूल भुगतान प्रणाली की शुरुआत ।
- हितधारकों द्वारा एमआईएस एवं बैंक खाता विवरण का ऑनलाइन माध्यम से प्राप्ति ।

इस प्रणाली को इस प्रकार आरंभ किया गया है कि नीलामी के बाद के सेटलमेंट प्रक्रिया को नीलामी प्रक्रिया के साथ एकीकृत कर शुरू से अंत तक पूरी तरह से ऑनलाइन बना दिया गया है । बोर्ड ने नीलामी प्रक्रिया को वास्तविक रूप में आरंभ करने से पहले अनेकों प्रदर्शनमूलक प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं हैंडहोल्डिंग सत्र आयोजित किए गए थे ।

पोस्ट सेटलमेंट प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन के पश्चात टी बोर्ड द्वारा प्रत्येक हिस्सेदारों विक्रेता , ब्रोकर एवं क्रेता) से लेन - देन शुल्क के रूप में रु.0.02/- प्रति किग्रा. वसूली का भी प्रावधान किया गया था जिससे

नीलामी प्रक्रिया स्वचालनीय (self sustainable) बन सके । 31 मार्च 2019 तक टी बोर्ड द्वारा चाय बिक्री के पश्चात् के लेन-देन से (जीएसटी सहित) 4.15 करोड़ रु. अर्जित किया गया था ।

नवीन पहल:

1. नीलामी प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए टी बोर्ड ने मूल्य तंत्र को सुधारने के लिए जरूरी नीलामी सुधार पर अध्ययन के आयोजक हेतु आईआईएम बंगलुरु को चुना है।

2. बोर्ड ने जोरहाट के लिए अलग इलेक्ट्रानिक नीलामी मंच की स्थापना का प्रस्ताव रखा है ताकि असम चाय समूह (क्लस्टर) की जरूरतों को पूरा किया जा सके जिनका देश के सम्पूर्ण चाय उत्पादन में करीब आधा योगदान है । इस दिशा में बोर्ड ने आर एफ पी मगंाई है ताकि एक ऐसे ई-मचं का चुनाव किया जा सके जिससे डिजाईनिंग, विकास तथा रख-रखाव एकीकृत रूप में हो सके , साथ ही जिसमे मूल्य बर्द्धक सेवाएं जैसे - केन्द्रीय वेयरहाउसिंग, क्रेताओं को लॉजिस्टिक आदि भी हों ।

3. नीलामी प्रणाली के अवसंरचना की दिशा में बोर्ड ने सम्पूर्ण सेवाओं को क्लाउड एनवायरनमेंट की अत्याधुनिक तकनीक की ओर पहल की है जिसके लिए परिवीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में आरएफपी को मंगाया गया है।

अध्याय -8

सांख्यिकी

प्रस्तावना:

चाय बोर्ड की सांख्यिकी शाखा के प्राथमिक कार्यों में चाय उद्योग के सभी पहलुओं एवं कृषि, उत्पादन,उत्पादकता, देश में उत्पादित विभिन्न प्रकार की चाय, प्राथमिक बाजार मूल्य,निर्यात,चाय निर्यात गंतव्य स्थान एवं चाय रोपण आदि में संलग्न कामगारों के अंतर्गत व्यापारिक क्षेत्रों से संबन्धित सांख्यिकीक आकड़ों को एकत्रित करना ,उनका मिलान करना तथा प्रसार करना शामिल है। ऐसी सूचनाएं बोर्ड, भारत सरकार एवं उद्योग के नीति निर्णय प्रक्रिया में आवश्यक इनपुट उपलब्ध करवाती हैं।

सांख्यिकीय सूचना का प्रसार

साप्ताहिक नीलामी मूल्य, मासिक उत्पादन एवं निर्यात संबंधी सूचनाओं को बोर्ड के वेबसाइट www.teaboard.gov.in. पर व्यवसाय, उद्योग, अनुसंधान विज्ञान आदि के लिए अपलोड किया जाता है ।

चाय मूल्यों का अनुवीक्षण:

सांख्यिकीय शाखा क्रमश: रोपण फसलों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) एवं औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) से संबंधित वाणिज्य मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्द व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को नीलामी मूल्य की अपेक्षित सूचनाओं का अनुवीक्षण उपलब्ध कराता है । विभिन्न शहरों/नगरों में चाय के खुदरा मूल्य का अनुवीक्षण भी सांख्यिकी शाखा द्वारा किया जाता है ।

कर एवं शुल्क

उत्पाद शुल्क: इंस्टैंट चाय पर 10 प्रतिशत यथा मूल्य जो शीर्ष 2101.20 के तहत आता है ।

निर्यात शुल्क : शून्य

आयात शुल्क: निर्यातोन्मुख इकाई (इओयू) एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (सेज़) इकाईयों द्वारा पुन: निर्यात के प्रयोजन हेतु आयातित चायों पर आयात शूल्क शून्य है । यद्दपि, घरेलू बाजार हेतु आयातित चायों पर प्राथमिक आयात शुल्क का 100 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अधिभार तथा प्राथमिक शुल्क एवं अधिभार पर 4 प्रतिशत का विशेष अतिरिक्त शुल्क को आकर्षित करेगा (1 मार्च 2002 से) । प्रति कैलेण्डर वर्ष में श्रीलंका से 15 मि.कि.ग्रा. तक आयातित चाय पर प्राथमिक शुल्क का 7.5 प्रतिशत की रियायत के अलावा अन्य सामान्य अधिकार लागू रहेगा ।

उत्पाद एवं सेवा कर : चाय पर वर्तमान जीएसटी दर 5% है अर्थात् 2.5% सीजीएसटी+2.5%एसजीएसटी । अर्न्तप्रदेशीय पूर्ति के क्षेत्र में, चाय पर आईजीएसटी की दर 5% है ।

वर्ष 2018-19 के दौरान चाय उद्योग व व्यापार की स्थिति

उत्पादनः

उत्तर एवं दक्षिण भारत के मुख्य चाय उत्पादक क्षेत्रों में बेहतरीन जलवायु परिस्थिति के कारण भारत ने वर्ष 2018-19 में अब तक का सर्वोच्च चाय उत्पादन 1350.04 मि.कि.ग्रा. प्राप्त किया जो 2017-18 की तुलना में 24.99 मि.कि.ग्रा. अधिक है ।

मुख्य चाय उत्पदाक राज्य असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु एवं केरल ने कुल चाय उत्पादन में 97.51% का योगदान दिया जबकि शेष अंश का योगदान अन्य राज्यों ने किया । कुल चाय उत्पादन में से सीटीसी का योगदान 90% रहता है जबकि आर्थोडॉक्स व ग्रीन टी का 10% अंश रहता है ।

संगठित क्षेत्रः

1569 चाय संपदाएं है । इन क्षेत्रों में 923 विपणन इकाई स्थापित है । 2018-19 के दौरान उत्पदान के संगठित क्षेत्र का अंश 51.59% देखा गया ।

लघु चाय उत्पादकः

लघु चाय उत्पादकों का कुल चाय उत्पादन वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है । वर्ष 2018-19 के दौरान लघु उत्पादकों के उत्पादन का अंश 48.41% देखा गया ।

निर्यातः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान **भारत ने चाय निर्यात की धारा बरकरार रखी** । 2017-18 की तुलना में 2018-19 में उच्च मूल्य इकाई वसूली के कारण 441.96 करोड़ की उच्च मूल्य वसूली सहित 2.07 मि.कि.ग्रा. कम थी । वर्ष 2018-19 में **निर्यात में सर्वोच्च मूल्य वसूली में रिकॉर्ड वर्ष रहा** है ।

भारत से चाय का निर्यात

वर्ष	मात्रा (मि.कि.ग्रा.).	मूल्य (रु. करोड़ में)	इकाई मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	थोक चाय		मूल्यवर्धक चाय	
				मात्रा (मि.कि.ग्रा.).	मूल्य (रु. करोड़ में)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.).	मूल्य (रु. करोड़ में)
2017-18	256.57	5064.88	197.41	225.13	3955.10	31.44	1109.78
2018-19	254.50	5506.84	216.38	225.29	4321.61	29.21	1185.23

यह ध्यान दिया गया कि 2018-19 के दौरान कुल उत्पादन का करीब 11.48% मूल्यवर्द्धन रुप में निर्यात किया गया(पैकेट चाय, टी बैग एवं इंस्टैंट टी) जबकि बाकी थोक रुप में ही निर्यात किया गया ।

भारत में चाय का आयात

वर्ष 2018-19 के दौरान, सीआईएफ मूल्य 341.61 करोड़ रु. सहित 24.22 मि.कि.ग्रा. 2017-18 की तुलना में सीआईएफ मूल्य 288.56 करोड़ सहित 20.59 मि.कि.ग्रा. रहा ।

नीलामी में चाय मूल्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान देश में कुल चाय उत्पादन का 44.16% जन नीलामी द्वारा तथा बाकी अंश अन्य माध्यम द्वारा बेचा गया ।

विगत वर्ष की तुलना में उत्तर भारत में औसत मूल्य वृद्धि 7.30 रु. प्रति कि.ग्रा. (5.05%) रही जबकि दक्षिण भारत में 9.21 रु. प्रति कि.ग्रा. (9.8%) की बढ़ोतरी हुई । 2017-18 की तुलना में समग्र मूल्य में 7.60 रु. प्रति कि.ग्रा. (5.73%) की बढ़ोतरी हुई ।

वर्ष	उत्तर भारत		दक्षिण भारत		अखिल भारत	
	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)
2016-17	432.90	141.37	124.13	106.12	557.03	133.51
2017-18	453.85	144.57	139.59	93.94	593.44	132.66
2018-19	454.16	151.87	141.99	103.15	596.15	140.26

घरेलू प्रतिधारण

चाय की अनुमानित घरेलू प्रतिधारण 2017-18 में 1089 मि.कि.ग्रा. की तुलना में 2018-19 में करीब 1120 मि.कि.ग्रा. रही ।

अध्याय-9

मानव संसाधन विकास

I. **परिचय**:

कामगारों और उनके आश्रितों के लिए बेहतर काम करने की स्थिति बनाने तथा सुविधाओं और प्रोत्साहन राशि में सुधार लाने के लिए कल्याणकारी उपायों को सहायता प्रदान करना चाय अधिनियम,1953 में यथा अनिवार्य चाय बोर्ड के अनन्य उद्देश्यों में से एक है । चूंकि,रोपण कामगारों का विनियामक एवं कल्याण रोपण श्रम अधिनियम के दायरे में आता है और वह राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, बोर्ड द्वारा की जा रही कल्याणकारी क्रियाकलापें अनुपूरक हैं और वे सामान्य कल्याणकारी उपायों को कवर करती हैं । बोर्ड के सम्पूर्ण XII वीं प्लान चाय विकास एवं संवर्धन योजना के मानव संसाधन विकास के अंतर्गत श्रमिक कल्याणकारी उपाय किए गए थे । बोर्ड की कल्याणकारी योजनाएँ लिंग निरपेक्ष हैं ।

II. श्रमिक कल्याण समिति:

बोर्ड की श्रमिक कल्याण समिति एक सलाहकारिता निकाय के रूप में मार्गदर्शन करती है। बोर्ड की यह समिति विभिन्न श्रमिक कल्याण क्रियाकलापों के कार्यान्वयन में चाय बोर्ड की सहायता करती है। इस समिति में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित सदस्य है :

1. उपाध्यक्ष चाय बोर्ड, समिति का पदेन अध्यक्ष
2. श्री तपन सेन, माननीय सांसद, सदस्य
3. श्री एम.पी.भार्गवन नायर सदस्य
4. श्री दिनेस्वर ताशा, सदस्य
5. श्री सुनील किरवई, सदस्य
6. श्री रमेश, सदस्य
7. श्रीमती मून स्वर्णकार,सदस्य
8. श्री बी. कुमारन, सदस्य
9. श्री अश्विन शेट्टी सदस्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान श्रमिक कल्याण समिति की बैठक निम्नलिखित तारीखों को हुई :

बैठक की संख्या	बैठक की तारीख	स्थान
236वीं	26 जून,2018	काजीरंगा, असम
237वीं	26 सितंबर, 2018	कोलकाता

भारत में चाय का आयात

वर्ष 2018-19 के दौरान, सीआईएफ मूल्य 341.61 करोड़ रु. सहित 24.22 मि.कि.ग्रा. 2017-18 की तुलना में सीआईएफ मूल्य 288.56 करोड़ सहित 20.59 मि.कि.ग्रा. रहा ।

नीलामी में चाय मूल्य

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान देश में कुल चाय उत्पादन का 44.16% जन नीलामी द्वारा तथा बाकी अंश अन्य माध्यम द्वारा बेचा गया ।

विगत वर्ष की तुलना में उत्तर भारत में औसत मूल्य वृद्धि 7.30 रु. प्रति कि.ग्रा. 5.05 %) रही जबकि दक्षिण भारत में 9.21 रु. प्रति कि.ग्रा. 9.8 %) की बढ़ोतरी हुई । 2017-18 की तुलना में समग्र मूल्य में 7.60 रु. प्रति कि.ग्रा. 5.73 %) की बढ़ोतरी हुई ।

वर्ष	उत्तर भारत		दक्षिण भारत		अखिल भारत	
	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)	मात्रा (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (रु./कि.ग्रा.)
2016-17	432.90	141.37	124.13	106.12	557.03	133.51
2017-18	453.85	144.57	139.59	93.94	593.44	132.66
2018-19	454.16	151.87	141.99	103.15	596.15	140.26

घरेलू प्रतिधारण

चाय की अनुमानित घरेलू प्रतिधारण 2017-18 में 1089 मि.कि.ग्रा. की तुलना में 2018-19 में करीब 1120 मि.कि.ग्रा. रही ।

III. मानव संसाधन विकास घटक:

चाय रोपण कामगारों और उनके आश्रितों के जीवन स्तर में सुधार हासिल करने के लिए मानव संसाधन विकास निम्नलिखित तीन बृहद क्षेत्रों पर लक्ष्यित है:

(अ) कामगारों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में सुधार लाना :

i. चाय रोपण कामगारों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा सुविधाएं बढ़ाने हेतु तथा चिकित्सा उपकरण, उपसाधनों के क्रय करने तथा गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में एम्ब्युलेन्स और कुछ अस्पतालों में बिस्तरों के आरक्षण के लिए अस्पताल/क्लीनिक के लिए पूंजीगत अनुदान

चाय बागान अस्पतालों में चाय रोपण कामगारों और उनके आश्रितों के लिए टी.बी.,कैंसर, कुष्ठरोग, नेत्र, हृदय,यकृत किडनी) के रोगों इत्यादि के इलाज के लिए विशेषीकृत चिकित्सा सुविधाएं हेतु मदद करने की अनुमति दी गई थी क्योंकि वहाँ इन बीमारियों के इलाज की कोई सुविधा नहीं थी । विशेषीकृत चिकित्सा के लिए आवश्यक उपकरणों जैसे एक्स-रे प्लांट, सर्जिकल उपकरण, एम्ब्युलेन्स इत्यादि की खरीद के लिए भी अनुदान की अनुमति दी गई थी । विशेष मामलों में चाय बागान रोगियों के लिए अस्पतालों में बिस्तर के रखरखाव पर होने वाले खर्च के लिए आवश्यक आवर्ती अनुदान स्वीकृत करने का भी प्रावधान था ।

अनुदान की मात्रा: उपकरण के पूंजीगत लागत का 30% आवेदक द्वारा तथा शेष 70% बोर्ड द्वारा वहन किया जाना था जहां अधिकतम सीमा 8 लाख या उससे कम इनमें जो भी कम हो, थी ।

ii. विशेषीकृत अस्पतालों में चाय रोपण कामगारों और उनके आश्रितों-विक्लांग व्यक्तियों / कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता:

कामगारों पर आश्रित विक्लांग व्यक्तियों को बैशाखी, कैलीपर के जूते, कृत्रिम पैर, कान की मशीन, व्हील चेयर और हाथ से चलाने वाली पैडेलिंग ट्राइ साइकिल इत्यादि खरीदने के लिए वित्तीय सहायता की अनुमति दी गई थी । विशेषीकृत अस्पतालों में चाय रोपण कामगारों और उनके आश्रित- कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का विशेष प्रावधान था ।

अनुदान की मात्रा: अ) विक्लांग व्यक्तियों के लिए अधिकतम भुगतान इकाई लागत का 90% अथवा 5000/-रुपये तक, जो भी कम हो, सीमित है । ब) विशेषीकृत अस्पतालों में चाय रोपण कामगारों और उनके आश्रित- कैंसर और हृदय रोग से पीड़ित रोगियों के लिए वित्तीय सहायता वास्तविक आधार पर प्रदान की गई ।

(ब) कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा:

i. **चाय बागान के कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा: कामगारों के बच्चों के लिए भत्ते के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई ।**

अनुदान की मात्रा: ट्यूशन फ़ीस पर वास्तविक आधार पर , अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तक और हॉस्टल चार्ज पर हॉस्टल चार्ज का दो- तिहाई (2/3) ,अधिकतम सीमा 20,000 रुपये तक ।

ii. **कामगारों के बच्चों के लिए शिक्षा "नेहरू पुरस्कार" विशेष योजना :**

चाय बोर्ड ने बागान के कामगारों के होनहार बच्चों के लिए "नेहरू पुरस्कार" नाम से एक विशेष योजना का कार्यान्वयन किया ।

अनुदान की मात्रा: इस योजना के तहत बागान के कामगारों के बच्चों के लिए Xवीं के लिए 4000/-रु० का तथा XIIवीं के लिए 5000/-रु० का अनुदान राशि प्रदान की गई ।

iii. **चाय बागान के जरूरतमन्द और योग्य बच्चों को अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित बच्चों को पुस्तक और स्कूल यूनीफॉर्म अनुदान योजना :**

बंद चाय बागानों के जरूरतमंद विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पुस्तक और यूनीफॉर्म खरीदने के लिए सहायता प्रदान की गई ।

अनुदान की मात्रा: 3000/- रुपये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष ।

iv. **XI वीं योजना ने पूंजीगत अनुदान के तहत विद्यालय/ महाविद्यालय/ हॉस्टल बिल्डिंग के निर्माण के मामलों को प्रतिबद्ध किया।**

XIवीं योजना मामलों के प्रतिबद्ध और अवशिष्ट भुगतान के लिए प्रावधान था।

V. **भारत स्काउट्स और गाइड्स हेतु वित्तीय सहायता:** भारत स्काउट्स और गाइड्स के लिए वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत बोर्ड की तरफ से दी जाने वाली अनुदान राशि जिला स्काउट्स/गाइड संस्थापकों के पदों के रखरखाव के लिए वेतन और भत्तों के भुगतान, प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रभारों की प्रतिपूर्ति, रैलियां कराने के भुगतान रैलि व कैंप, जम्बूरिस तथा चाय बागान स्काउट्स /गाइड्स इत्यादि को वर्दी खरीदने पर खर्च होता है ।

अनुदान की मात्रा : (अ) पूर्ण कालिक जिला स्काउट्स/गाइड्स संस्थापकों के लिए मासिक वेतन 5000/- रु० थी तथा 1500 रु. प्रति माह की दर से यात्रा भत्ता तय किया गया था ।

प्रशिक्षण शिविर: अल्पाहार और टिफ़िन के लिए प्रति व्यक्ति 100 रु० प्रति दिन तथा प्रति प्रशिक्षार्थी को प्रति प्रशिक्षण के लिए आकस्मिक प्रभार के रूप में 100 रु० ।

वार्षिक जिला रैली: अल्पाहार और टिफ़िन के लिए प्रति व्यक्ति 100 रु० तथा आकस्मिक प्रभार 1000/- से अधिक नहीं ।

राज्य रैलीकंपोरीस: नेशनल जंबूरीस के लिए अल्पाहार और टिफ़िन के लिए प्रति व्यक्ति 100 रु० प्रति दिन : अल्पाहार और टिफ़िन के लिए प्रति व्यक्ति 100 रु० प्रति दिन तथा वर्दी अनुदान 200 रु० प्रति व्यक्ति/प्रति वर्ष ।

(स) कामगारों / कामगारों के बच्चों के कौशल विकास में सुधार के लिए प्रशिक्षण:

चाय रोपण कामगारों के बच्चों व उनके आश्रितों को अल्पकालिक व्यवसायिक प्रशिक्षण/स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पाठ्यक्रम के लिए चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता योजना : चाय बागान क्षेत्रों में लोगों के लिए अधिक से अधिक रोजगार सृजन करने हेतु बोर्ड ने व्यवसायिक प्रशिक्षण कोर्स का आयोजन करने में संलग्न संस्थानों/संगठनों के प्राधिकारियों को वित्तीय सहायता प्रदान की, यह अनुदान केवल छः से एक वर्ष के प्रति व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे - प्लम्बिंग, राजमिस्त्री का काम, बिजली/ टीवी मरम्मत करने, बढईगीरी के लिए कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण कोर्स के आयोजन के लिए मंजूर की गई थी ।

अनुदान की मात्रा : एक कोर्स के लिए अधिकतम 1.5 लाख रुपये ।

(द) चाय रोपण को राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं के लिए राज्य सरकारों को दी जाने वाली अंतर वित्त पोषण: प्रमुख चाय उत्पादक राज्यों को राष्ट्रीय कल्याण योजनाओं के अनुरूप वित्तीय सहायता प्रादन करने का प्रावधान था ।

वर्ष 2018-19 के दौरान वहुए व्यय का विवरण नीचे सारणी-1 में प्रस्तुत है

घटक - मानव संसाधन विकास

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्यवार वित्तीय संवितरण एवं भौतिक उपलब्धियां

		स्वास्थ्य			शिक्षा					प्रशिक्षण				
राज्य	क्रियाकलाप	चिकित्सा उपकरण का क्रय	सहायता उपकरण के लिए दिव्यांग व्यक्तियों को वित्तीय सहायता व्यक्तियों की (संख्या)	कैंसर /दिन के मरीजों के लिए वित्तीय सहायता (संख्या)	भत्ता (संख्या)	नेहरू पुरस्कार (संख्या)	प्रकृतिक आपदा / बंद चाय बागानों से प्रभावित लोगों को पुस्तक और स्कूल यूनिफॉर्म अनुदान	भारत स्काउट्स एंड गाइड्-प्रशिक्षण शिविर / रैलियाँ, जंबूरीस/ मुक़ाबला (शिविर की संख्या और विद्यार्थी हितधारकों की (संख्या)		व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की संख्या तथा विद्यार्थी हितधारकों की (संख्या)		XI योजना पूंजी अनुदान-स्कूल / कॉलेज की (संख्या)	अन्य बैंक प्रभार सहित)	**कुल**
असम	राशि लाख (₹)				66.63	2.4		1.56		4.2				**74.79**
	भौतिक				953	50		1		1	40			
त्रिपुरा	राशि लाख (₹)				0.68	0.05								**0.73**
	भौतिक				5	1								
पश्चिम बंगाल	राशि लाख (₹)			3.13	69.02	0.31	6.16	5.83					2.2	**86.65**
	भौतिक			3	764	6	165	02	165				2	
तमिलनाडु	राशि लाख (₹)			0.5	16.87	3.09		3.6						**24.06**
	भौतिक			1	69	70		5	1770					
केरल	राशि लाख (₹)				40.23		8.16						6.65	**55.04**
	भौतिक				158		204						1	
कर्नाटक	राशि लाख (₹)				1.67									**1.67**
	भौतिक				9									
हिमाचल प्रदेश	राशि लाख (₹)				0.98	0.26								**1.24**
	भौतिक				7	6								
उत्तराखंड	राशि लाख (₹)				0.52	0.39								**0.91**
	भौतिक				4	9								
अखिल भारत	राशि लाख (₹)	0	0	3.63	196.6	6.5	14.32	10.99		4.2		0	8.85	245.09
	भौतिक	0	0	4	**1,969**	142	369	8	**1935**	1	40	0	3	

अध्याय-10

हिन्दी कक्ष

प्रस्तावना

26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होते ही अनुच्छेद 343(1) के अनुसार हिन्दी संघ की राजभाषा बनी । भारत सरकार को यह दायित्व दिया गया कि वह राजभाषा हिन्दी का प्रचार एवं विकास इस प्रकार करें कि वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके ।हिंदी भाषा के प्रगामी प्रयोग हेतु निरंतर प्रयास स्वभाविक था । अपनी स्थापना के समय से ही हिन्दी कक्ष राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा नियम 1976 के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड में राजभाषा कार्यान्वयन के कार्य का दायित्व निभा रहा है । राजभाषा नीति एवं बोर्ड महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनुवाद संबंधी कार्यों का निष्पादन बोर्ड के उपनिदेश क (रा.भा.) के पर्यवेक्षणाधीन की जाती है ।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

समीक्षाधीन वर्ष 2018-2019 के दौरान राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा (33) जो भारत सरकार की मुख्य नियामक अधिनियम है, में विहित सभी प्रलेखों को पूर्णरूपेण द्विभाषी रूप में अर्थात् हिन्दी एवं अंग्रेजी में एक साथ जारी किए गए ।

हिन्दी पुस्तकों का क्रय

राजभाषा कार्यान्वयन हेतु अनुकूल वातावरण बनाने तथा हिन्दी शिक्षण हेतु संदर्भ पुस्तकें उपलब्ध करवाने के लिए हिन्दी कक्ष द्वारा एक हिन्दी पुस्तकालय चलाया जा रहा है । वर्ष के दौरान मुख्यालय एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिये 30,000/- की पुस्तकें खरीदी गई । इनमें संदर्भ साहित्य एवं शब्दावली/कोश आदि सम्मिलित है ।

हिन्दी में पत्राचार

हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों के उत्तर समीक्षाधीन वर्ष के दौरान अनिवार्यत: हिन्दी में ही दिये गए। वार्षिक कार्यक्रम 2018-19 में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सघन प्रयास किये गए ।

हिन्दी में रिपोर्ट

संसद में रखे जानेवाले सभी प्रतिवेदन जैसे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए । इसके अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार किए गए । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को इनका नियमित रूप से प्रेषण किया गया ।

हिन्दी में रिपोर्ट

संसद में रखे जानेवाले सभी प्रतिवेदन जैसे वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखा, वार्षिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन आदि हिन्दी में भी तैयार किए गए । इसके अलावा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट एवं वार्षिक रिपोर्ट भी हिन्दी में तैयार किए गए । वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली को इनका नियमित रूप से प्रेषण किया गया ।

हिन्दी कार्यशाला का आयोजन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान समय समय पर राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित हुई, जिसमें सहायक/वरिष्ठ सहायक/सह प्रशासनिक अधिकारी सहित अन्य अधिकारियों को भी हिन्दी कार्य करने की शैली में प्रशिक्षित किया गया । विभिन्न सरकारी कार्यालयों से आगत प्रवक्ताओं ने सत्र संचालित किए। इसके फलस्वरूप कार्मिकों में व्यवहारिक/प्रयोजनमूलक हिन्दी के प्रति अभिरूचि पैदा हुई ।

हिन्दी सप्ताह का आयोजन

राजभाषा के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा कामकाज में इसे बढ़ावा देने हेतु हिन्दी सप्ताह का आयोजन किया गया । इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया । क्षेत्रीय कार्यालयों में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित हुए ।

हिन्दी वेबसाईट

ई-गवर्नेंस के इस युग में नीति कार्यान्वय की दिशा में इंटरनेट एक शक्तिशाली माध्यम बन गई है टी बोर्ड की भी हिंदी में अपनी वेबसाइट www.teaboard.gov.in है, क्योंकि आज भी हिन्दी अधिकांश भारतीय जनता की भाषा है । टी बोर्ड के हिंदी वेबसाईट को अंग्रेजी संस्करण से मेल रखते हेतु तथा हिंदी संस्करण को समय-समय पर अद्यतन किये जाने के संबंध गहन प्रयास किए गए, जो एक सतत प्रक्रिया है ।

टॉलिक की गतिविधियों में सहभागिता

राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढावा देने से संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कोलकाता (नराकास) की गतिविधियों में बोर्ड सक्रिय रूप से भाग लिया ।

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें :

बोर्ड की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ऑलिक) की वर्ष के दौरान प्रत्येक तिमाही में बैठके आयोजित हुई तथा बहुत ही उपयोगी निर्णय लिए   गए ।

कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी प्रयोग हेतु प्रोत्साहन योजना

बोर्ड ने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रोत्साहन योजना को प्रचारित किया जिसका उद्देश्य हिन्दी की कामकाज में गति लाना था । अधिकारी एवं कर्मचारियों ने इसका लाभ लिया । कुछेक कर्मचारियों ने इस योजना में हिस्सा लिया एवं उन्हें पुरस्कृत किया गया ।

संघ की राजभाषा में कार्य करने हेतु वार्षिक कार्यक्रम

वर्ष 1967 में संसद द्वारा पारित राजभाषा संकल्प में यह निर्देश दिया गया था कि भारत सरकार एवं अधिक गहन एवं व्यापक कार्यक्रम तैयार कर कार्यान्वित करेगी जिससे हिन्दी के प्रसार एवं विकास को गति मिले । वर्ष 2018-19 का कार्यक्रम इसी क्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है । इस वार्षिक कार्यक्रम के माध्यम से हम संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी को लाने के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की गति तेज की गयी । निर्धारित लक्ष्यों की कुछ हद तक प्राप्ति भी हुई है । फिर भी टी बोर्ड में बहुत हद तक कार्य अंग्रेजी में ही होता रहा ।

अध्याय 11

सतर्कता प्रकोष्ठ

में टी बोर्ड के सचिव बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रुप कार्य करते हैं। सतर्कता प्रकोष्ठ के समग्र कार्यकलापों को मुख्य सतर्कता अधिकारी के पर्यवेक्षणाधीन किया जाता है । सचिव के अतिरिक्त सतर्कता प्रकोष्ठ के कुल दो कार्याधिकारी हैं ।

सतर्कता प्रकोष्ठ का मुख्य कार्य है सरकार/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों को क्रियान्वित करना, जिसे नियमित रूप से अनुपालित किया जाता है । सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए जाने के साथ-साथ सरकार को मासिक व तिमाही रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाती है । बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी के सलाह पर निविदा और निवारक सतर्कता इत्यादि संबंधी सभी पहलुओं का अनुसरण बोर्ड द्वारा किया जाता है । बोर्ड के विधि अधिकारी भी सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य करते हैं । सतर्कता प्रकोष्ठ का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश के अनुसार बोर्ड में प्रत्येक वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना, जिसमें चाय बोर्ड के सभी कार्याधिकारियों को चाय बोर्ड की बुनियादी सतर्कता लक्ष्य की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए दक्षता एवं पारदर्शिता के शपथ-संदेश के माध्यम से उन्हें शपथ दिलायी जाती है । वर्ष के दौरान सतर्कता प्रकोष्ठ को एक भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है एवं आज की तिथि तक एक भी सतर्कता मामले लंबित नहीं हैं ।

अध्याय -12

विधि प्रकोष्ठ एवं सूचना का अधिकार

चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ, विधि अधिकारी के अधीन कार्य करता है । चाय बोर्ड का विधि प्रकोष्ठ बोर्ड के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अग्रेषित सभी विधिक मामलों का पर्यवेक्षण करता है । प्रकोष्ठ बोर्ड के नामिकागत सॉलिसिटर/विधि फॉर्म, विधिक सलाहकारों एवं केंद्रीय सरकार परिषदों के साथ बोर्ड की ओर से सम्पर्क स्थापित करता है । दिनांक 31.03.2018 तक 86 मामले लंबित थे । समीक्षाधीन वर्ष के दौरान 11 नए मामले आए एवं 05 मामले वापस कर लिए गए । दिनांक 31.03.2019 तक कुल मामलों की संख्या 92 थी ।

आईपीआर प्रकोष्ठ बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी सभी मामलों की भी देखभाल करता है, कानूनों के अधीन इसमें बोर्ड द्वारा पंजीकृत भारत एवं विदेश में विभिन्न लोगो चिह्न/शब्द चिह्न शामिल हैं । रिपोर्टाधीन वर्ष में इस प्रकोष्ठ ने निर्यात से पूर्व दार्जिलिंग चाय की शुद्धता को प्रमाणीकृत करते हुए 1841 सं. उत्पत्ति प्रमाणपत्र सीओओ) जारी किए हैं । इसके अतिरिक्त, प्रकोष्ठ ने दार्जिलिंग के चिह्न, असम ऑर्थोडॉक्स, नीलगिरि ऑर्थोडॉक्स, असम लोगो, नीलगिरि लोगो, इंडिया टी बोर्ड लोगो एवं डुआर्स-तराई लोगो के प्रयोग के लिए 185 अनुमतियों का नवीकरण किया है एवं 70 जारी किए है तथा इस तरह आईईबीआर के अंश के रुप में 21.387,40.20/- रु. एकत्रित किए हैं।

आरटीआई प्रकोष्ठ, नियत समय के भीतर सूचना का अधिकार 2005 के तहत आवेदनों के निपटान व अपील करने के लिए उत्तरदायी है साथ ही मंत्रालय को मासिक एवं वार्षिक विवरण भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। तीन मनोनीत जन सूचना अधिकारियों में से एक, विधि अधिकारी केन्द्रक अधिकारी है । रिपोर्टाधीन वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 72 आवेदन प्राप्त हुए हैं एवं 03 अपील निपटा दिए गए हैं ।